https://t.me/UPSC_Prelims https://t.me/UPSC_Mains

संविधान का निर्माण

* 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कॉंग्रेस ने पहली बार संविधान निर्माण हेतु संविधान सभा के गठन की माँग की।

⇒ संविधान सभा का गठन :-

* कैबिनेट मिशन योजना द्वारा नवंबर 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ।
* हर प्रांत व देशी रियासतों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीट बाँटी गयी। प्रत्येक 10 लाख लोगों पर एक सीट आवंटित की गयी।
* आवंटित सीटों का निर्धारण तीन प्रमुख समुदायों [मुस्लिम, सिख व सामान्य (मुस्लिमों व सिक्खों को छोड़कर अन्य सभी)] के बीच किया गया।
* देशी रियासतों के प्रतिनिधियों का चयन रियासतों के प्रमुखों द्वारा किया जाना था।

⇒ संविधान सभा का चुनाव :-

* संविधान सभा आंशिक रूप से चुनी हुई और आंशिक रूप से नामांकित निकाय थी।
* संविधान सभा का चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर नहीं हुआ था।
* संविधान सभा में प्रत्येक समुदाय हिन्दू, मुस्लिम, सिख, पारसी, आंग्ल-भारतीय, भारतीय ईसाई, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं महिलाएँ के प्रतिनिधियों को स्थान दिया गया।
* संविधान सभा के लिए कुल 389 सीटें निर्धारित की गयी जिसमें –

389 (कुल सीट)
- 296 ब्रिटिश भारत (निर्धारित)
  - 208 सीट [कांग्रेस को प्राप्त]
  - 73 सीट [मुस्लिम लीग को प्राप्त]
  - 15 सीट [स्वतंत्र सदस्यों को प्राप्त]
- 93 देशी रियासत (निर्धारित)
  - ↳ देशी रियासतों को आवंटित सीटें भर नहीं पायी उन्होंने खुद को संविधान सभा से अलग रखने का निर्णय किया।

Raj Holkar

⇒ संविधान सभा की बैठक :-

* संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसम्बर, 1946 को हुई। मुस्लिम लीग ने बैठक का बहिष्कार किया। सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष बनाये गये।
* 11 दिसंबर को दूसरी बैठक में राजेन्द्र प्रसाद स्थायी अध्यक्ष चुने गए।
* बी॰एन॰ राय को संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया।

https://t.me/UPSC_Prelims
Scanned by CamScanner https://t.me/UPSC_Mains

* एच. सी. मुखर्जी को संविधान सभा का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया।

⇒ डा. जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत "उद्देश्य प्रस्ताव" के मुख्य बिन्दु :-

* संविधान सभा भारत को एक स्वतंत्र, संप्रभु, गणराज्य घोषित करती है।
* ब्रिटिश भारत के सभी क्षेत्र, भारतीय राज्यों में शामिल सभी क्षेत्र, व भारत के बाहर के ऐसे क्षेत्र जो भारत में शामिल होना चाहेंगे, भारतीय क्षेत्र होंगे। तथा इनकी सीमाओं व क्षेत्रों का निर्धारण संविधान सभा द्वारा किया जाएगा।
* संप्रभु, स्वतंत्र भारत की सभी शक्तियाँ एवं प्राधिकार आदि का स्त्रोत भारत की जनता होगी।
* भारत के सभी लोगों के लिए न्याय, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक स्वतंत्रता व सुरक्षा, अवसर की समानता, विधि के समक्ष समता, विचार एवं अभिव्यक्ति, विश्वास भ्रमण, संगठन बनाने आदि की स्वतंत्रता तथा लोक नैतिकता की स्थापना सुनिश्चित की जाएगी।
* अल्पसंख्यकों, पिछड़े वर्गों, तथा जनजातिय क्षेत्र के लोगों को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान की जायेगी।
* संघ की एकता को अक्षुण्य रखा जायेगा।
* विश्व शांति एवं मानव कल्याण को बढ़ावा देने के निमित्त, उसके योगदान को सुनिश्चित किया जाएगा।

नोट :- ~~यह~~ उद्देश्य प्रस्ताव को परिवर्तित कर ही संविधान की प्रस्तावना का निर्माण किया गया।

⇒ भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, 1947 से संविधान सभा में हुए परिवर्तन :-

* इस अधिनियम ने सभा को ब्रिटिश संसद द्वारा भारत के संबंध में बनाए गए किसी भी कानून को समाप्त करने अथवा बदलने का अधिकार दे दिया।
* इसने सभा को भारत का संविधान निर्माण एवं भारत के लिए आम कानून लागू करना ये दो काम सौंपे। इस प्रकार संविधान सभा स्वतंत्र भारत की पहली संसद बनी।
* विभाजन के बाद मुस्लिम लीग के सदस्य संविधान सभा से अलग हो गए। अतः संविधान सभा के लिए ~~सदस्यों~~ सीटों का पुनः आवंटन हुआ। अब कुल सीटों की संख्या 299 थी जिसमें 229 सीट ब्रिटिश भारत के लिए एवं 70 सीट देसी रियासतों के लिए सुनिश्चित की गयी।

Scanned by CamScanner

⇒ संविधान सभा की समितियाँ एवं उनके अध्यक्ष :-

(3)

* संघीय संविधान समिति - जवाहर लाल नेहरू
* प्रांतीय संविधान समिति - सरदार पटेल
* प्रारूप समिति - डॉ॰ बी॰ आर॰ अंबेडकर
* संचालन समिति - डॉ॰ राजेन्द्र प्रसाद
* संघ शक्ति समिति - जवाहर लाल नेहरू
* मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों संबंधी परामर्श समिति - सरदार पटेल
  - मौलिक अधिकार उपसमिति → (अध्यक्ष) जे॰ बी॰ कृपलानी
  - अल्पसंख्यक उपसमिति → एच॰ सी॰ मुखर्जी
* राज्यों के लिए समिति (समझौता करने वाली) - ~~[illegible]~~ जवाहर लाल नेहरू
* कार्य संचालन समिति - डॉ॰ के॰ एम॰ मुंशी
* राष्ट्र ध्वज संबंधी तदर्थ समिति - डॉ॰ राजेन्द्र प्रसाद

⇒ प्रारूप समिति :- इस समिति का कार्य संविधान का प्रारूप (Draft) तैयार करना था। इसका गठन 29 अगस्त, 1947 को हुआ था। इसमें कुल 7 सदस्य थे -

1. डा॰ बी॰ आर॰ अंबेडकर 2. एन॰ गोपाल स्वामी अयंगर
3. अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर 4. डॉ॰ के॰ एम॰ मुंशी
5. सैय्यद मुहम्मद सादुल्ला
6. एन॰ माधव राव (बी॰ एल॰ मित्र के इस्तीफे के बाद)
7. टी॰ टी॰ कृष्णामाचारी (डी॰ पी॰ खेतान की मृत्यु के बाद)

नोट: प्रारूप समिति द्वारा संविधान का पहला प्रारूप फरवरी 1948 में प्रकाशित किया गया।

* डा॰ बी॰ आर॰ अंबेडकर ने 4 नवंबर, 1948 को संविधान का अंतिम प्रारूप पेश किया। इस बार पहली बार संविधान पढ़ा गया।
* 26 नवंबर, 1949 को संविधान को भारत के लोगों ने संविधान अपनाया, लागू किया व स्वयं को सौंपा।
* 26 नवंबर, 1949 को अपनाए गए संविधान में प्रस्तावना, 395 अनुच्छेद, और 8 अनुसूचियाँ थी। प्रस्तावना को पूरे संविधान को लागू करने के बाद लागू किया गया।

Scanned by CamScanner

https://t.me/UPSC_Prelims https://t.me/UPSC_Mains

* संविधान सभा ने 22 जुलाई, 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया।
* संविधान सभा ने 24 जनवरी, 1950 को राष्ट्रीय गान को अपनाया।
* संविधान सभा ने 24 जनवरी, 1950 को राष्ट्रीय गीत को अपनाया।
* संविधान सभा ने 24 जनवरी, 1950 को डा॰ राजेन्द्र प्रसाद को भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में चुना।
* ~~इसप्रकार~~ 2 साल 11 माह 18 दिन में संविधान सभा की कुल 11 बैठकें हुईं।
* 24 जनवरी, 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई।

<u>नोट</u>:- 26 नवंबर 1949 को संविधान के 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 379, 380, 388, 391, 392 व 393 अनु॰ लागू हुए। अन्य अनुच्छेद 26, जनवरी 1950 को लागू हुए।

* संविधान सभा में कांग्रेस के प्रभुत्व की आलोचना करते हुए संविधान विशेषज्ञ ग्रेनविले ऑस्टिन ने टिप्पणी की - " संविधान सभा एक दलीय देश का एक - दलीय निकाय है। सभा ही कांग्रेस है और कांग्रेस ही भारत है। "

Join Whatsapp #9650697922

https://t.me/UPSC_Prelims https://t.me/UPSC_Mains
Scanned by CamScanner

https://t.me/UPSC_Prelims https://t.me/UPSC_Mains

संविधान की विशेषताएँ

1. **सबसे लंबा एवं लिखित संविधान :-** मूलरूप से संविधान में एक प्रस्तावना, 395 अनुच्छेद, 22 भाग एवं 8 अनुसूचियाँ थी।

⇒ संविधान को विस्तृत बनाने के कारण :-

(क) भौगोलिक कारण : भारत का विस्तार और विविधता।

(ख) ऐतिहासिक कारण : भारतीय संविधान पर भारत शासन अधिनियम, 1935 का बहुत प्रभाव है। एवं यह अधिनियम भी बहुत विस्तृत था।

(ग) एकल संविधान : जम्मू-कश्मीर को छोड़कर केन्द्र और राज्यों के लिए एक ही संविधान है।

(घ) संविधान सभा में कानून विशेषज्ञों का प्रभुत्व।

2. **विभिन्न स्त्रोतों से विहित :-** भारत के संविधान ने अपने अधिकतर उपबंध विश्व के कई देशों के संविधानों, भारत शासन अधिनियम, 1935 के उपबंधों से है।

Raj Holkar

3. **नम्यता एवं अनम्यता का समन्वय :-**

संविधान

- **नम्य / लचीला**
  - जिसमें संविधान संशोधन के लिए सामान्य प्रक्रिया की आवश्यकता होती है।
  - उदाहरण - ब्रिटिश संविधान
- **अनम्य / कठोर**
  - जिसमें संशोधन के लिए विशेष प्रक्रिया की आवश्यकता हो।
  - उदाहरण - अमेरिकी संविधान

भारत के संविधान में ये दोनों विशेषताएँ विधमान हैं। भारतीय संविधान के कुछ उपबंधों में संशोधन के लिए संसद में विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है एवं कुछ उपबंधों में संशोधन सामान्य बहुमत की आवश्यकता होती है। इस प्रकार भारत के संविधान में नम्य एवं अनम्य दोनों प्रकार की विशेषताएं विधमान हैं।

https://t.me/UPSC_Prelims Scanned by CamScanner https://t.me/UPSC_Mains

4. एकात्मकता की ओर झुकाव के साथ संघीय व्यवस्था :-

संविधान

एकात्मक संविधान की विशेषताएं	संघात्मक संविधान की विशेषताएँ
- सशक्त केन्द्र	- दो सरकार : संघ एवं राज्य
- एक संविधान	- शक्तियों का विभाजन
- एकल नागरिकता	- लिखित संविधान
- संविधान का लचीलापन	- संविधान की सर्वोच्चता
- एकीकृत न्यायपालिका	- संविधान की कठोरता
- राज्यपाल की नियुक्ति (केन्द्र द्वारा)	- स्वतंत्र न्यायपालिका
- अखिल भारतीय सेवाएँ	- द्विसदनीयता
- आपातकालीन प्रावधान	

इस प्रकार भारत का संविधान संघीय सरकार की स्थापना करता है परन्तु भारतीय संविधान में एकात्मकता और गैर-संघीय लक्षण बड़ी संख्या में विद्यमान हैं। भारत के संविधान में 'संघीय' शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है। संविधान के पहले अनुच्छेद में भारत का उल्लेख 'राज्यों का संघ' के रूप में किया गया है। अर्थात भारतीय संघ राज्यों के बीच हुए किसी समझौते का निष्कर्ष नहीं है एवं किसी भी राज्य को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है।

5. सरकार का संसदीय रूप :- संसदीय व्यवस्था विधायिका और कार्यपालिका के मध्य समन्वय व सहयोग के सिद्धान्त पर आधारित है। संसदीय व्यवस्था की विशेषताएं निम्न हैं-

- वास्तविक व नाममात्र के कार्यपालकों की उपस्थिति (राष्ट्रपति अथवा राज्यपाल)
- बहुमत वाले दल की सत्ता
- विधायिका के समक्ष कार्यपालिका की संयुक्त जवाबदेही
- विधायिका में मंत्रियों की सदस्यता
- प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री का नेतृत्व
- निचले सदन का विघटन (लोकसभा अथवा विधानसभा)

नोट :- ब्रिटिश संसद की तरह भारतीय संसद संप्रभु नहीं है। भारत का प्रधान शासक राष्ट्रपति निर्वाचित होता है जबकि ब्रिटेन में उत्तराधिकारी व्यवस्था है।

Scanned by CamScanner

6. संसदीय संप्रभुता एवं न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय :- भारतीय संविधान निर्माताओं ने ब्रिटेन की संसदीय संप्रभुता और अमेरिका की न्यायपालिका सर्वोच्चता के बीच उचित संतुलन बनाने को प्राथमिकता दी। एक ओर जहाँ सर्वोच्च न्यायालय अपनी न्यायिक समीक्षा की शक्तियों के तहत संसदीय कानूनों को असंवैधानिक घोषित कर सकता है, वहीं दूसरी ओर संसद अपनी संविधानिक शक्तियों के बल पर संविधान के बड़े भाग को संशोधित कर सकती है। जैसे- नौवीं अनुसूची में आने वाले सभी प्रावधान न्यायिक समीक्षा से बाहर हैं एवं नौवीं अनुसूची की स्थापना संसद द्वारा की गयी थी।

7. एकीकृत व स्वतंत्र न्यायपालिका :- भारतीय संविधान एक ऐसी न्यायपालिका की स्थापना करता है, जो अपने आप में एकीकृत होने के साथ-साथ स्वतंत्र है। सर्वोच्च न्यायालय संघीय अदालत है। यह शीर्ष न्यायालय है और संविधान का संरक्षक है। संविधान में सर्वोच्च न्यायालय की स्वतंत्रता के प्रावधान निम्नलिखित हैं -
- न्यायाधीशों के कार्यकाल की सुरक्षा
- न्यायाधीशों के लिए निर्धारित सेवाशर्तें
- भारत की संचित निधि से सर्वोच्च न्यायालय के सभी खर्चों का वहन
- विधायिका में न्यायाधीशों के कामकाज पर चर्चा पर रोक
- सेवानिवृत्ति के बाद अदालत में कामकाज पर रोक
- अवमानना के लिए दण्ड देने की शक्ति
- कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग रखना इत्यादि।

8. मौलिक अधिकार :- मौलिक अधिकारों का उद्देश्य वस्तुतः राजनीतिक लोकतंत्र की भावना को प्रोत्साहन देना है। यह कार्यपालिका और विधायिका के मनमाने कानूनों पर निरोधक की तरह काम करते हैं। उल्लंघन की स्थिति में इन्हें न्यायालय के माध्यम से लागू किया जा सकता है।

मौलिक अधिकार अपरिवर्तनीय नहीं हैं। संसद इन्हें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से समाप्त कर सकती है अथवा इनमें कटौती कर सकती है। अनु० 20 व 21 को छोड़कर राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान इन्हें स्थगित किया जा सकता है।

Scanned by CamScanner

9. राज्य के नीति निदेशक तत्व :- नीति निदेशक तत्वों का कार्य सामाजिक व आर्थिक लोकतंत्र को बढ़ावा देना है। इनका उद्देश्य भारत में एक 'कल्याणकारी राज्य' की स्थापना करना है। मौलिक अधिकारों की तरह इन्हें कानून रूप में लागू नहीं किया जा सकता। इन्हें लागू करना राज्यों का नैतिक कर्तव्य है। सर्वोच्च न्यायालय ने नीति निदेशक तत्वों के बारे में कहा है कि "भारतीय संविधान की नींव मौलिक अधिकारों और नीति-निदेशक सिद्धांतों के संतुलन पर रखी गयी है।"

10. मौलिक कर्तव्य :- मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख नहीं किया गया है। इन्हें स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर 1976 के 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से शामिल किया गया।

मौलिक कर्तव्य नागरिकों को यह याद दिलाते हैं कि मौलिक अधिकारों का इस्तेमाल करते समय उन्हें याद रखना चाहिए कि उन्हें अपने समाज, देश व अन्य नागरिकों के प्रति कुछ जिम्मेदारियों का निर्वाह भी करना है। मौलिक कर्तव्यों को कानून रूप में लागू नहीं किया जा सकता।

11. एक धर्मनिरपेक्ष राज्य :- भारत का संविधान धर्मनिरपेक्ष है। इसलिए यह किसी धर्म विशेष को भारत के धर्म के तौर पर मान्यता नहीं देता। धर्मनिरपेक्षता की पश्चिमी अवधारणा धर्म और राज्य के बीच पूर्ण अलगाव रखती है। यह अवधारणा भारत में लागू नहीं है।

भारतीय संविधान में सभी धर्मों को समान आदर अथवा सभी धर्मों की समान रूप रक्षा करते हुए धर्मनिरपेक्षता के सकारात्मक पहलू को शामिल किया गया है।

12. सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार :- भारतीय संविधान द्वारा राज्य विधानसभाओं और लोकसभा के चुनाव के आधारस्वरूप सार्वभौम वयस्क मताधिकार को अपनाया गया है।

वर्ष 1989 में 61वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1988 द्वारा मतदान करने की उम्र को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था।

Scanned by CamScanner

13. एकल नागरिकता :- भारतीय संविधान संघीय है और एकल व संघीय लक्षणों का प्रतिनिधित्व करता है मगर इसमें केवल एकल नागरिकता का प्रावधान है। अर्थात् भारतीय नागरिकता।

14. स्वतंत्र निकाय :- भारतीय संविधान केवल विधायिका, कार्यपालिका व सरकार, न्यायिक अंग ही उपलब्ध नहीं कराता बल्कि यह कुछ स्वतंत्र निकायों की स्थापना भी करता है। जैसे - निर्वाचन आयोग, नियंत्रक एवं महालेखाकार, संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग इत्यादि।

15. आपातकालीन प्रावधान :- आपातकाल की स्थिति से बेहतर ढंग से निपटने के लिए भारतीय संविधान राष्ट्रपति के लिए आपातकालीन प्रावधानों की व्यवस्था करता है। इन प्रावधानों का उद्देश्य - देश की संप्रभुता, एकता, अखण्डता और सुरक्षा, संविधान एवं देश के लोकतांत्रिक ढांचे को सुरक्षा प्रदान करना।

संविधान में तीन प्रकार के आपातकाल की विवेचना की गयी है -

i) राष्ट्रीय आपातकाल (अनु.-352): युद्ध, आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में

ii) राज्य में आपातकाल (अनु.-356 व अनु.-365): राज्यों में संवैधानिक तंत्र की असफलता (अनु.-356) या केन्द्र के निर्देशों का अनुपालन में असफलता (अनु.-365)

iii) वित्तीय आपातकाल (अनु.-360): जब भारत की वित्तीय स्थिरता संकट में हो।

16. त्रिस्तरीय सरकार :- मूल रूप से भारतीय संविधान में दो स्तरीय राजव्यवस्था (संघ व राज्य) तथा केन्द्र एवं राज्यों की शक्तियाँ अंतर्विष्ट थीं। बाद में वर्ष 1992 में 73वें एवं 74वें संविधान संशोधन ने तीन स्तरीय (संघ, राज्य व स्थानीय) सरकार का प्रावधान किया गया, जो विश्व के अन्य किसी संविधान में नहीं है।

Scanned by CamScanner

संविधान की प्रस्तावना

(10)

⇒ प्रस्तावना की विषय वस्तु :- "हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए और इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास व उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता तथा अखण्डता सुनिश्चित करने वाला, बंधुत्व बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर, 1949 को एतद् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं।"

⇒ प्रस्तावना के तत्व :-

1. संविधान के अधिकार का स्त्रोत : संविधान की शक्ति का स्त्रोत भारत की ~~जनता~~ जनता है।

2. भारत की प्रकृति :- भारत एक संप्रभु, समाजवादी, धर्म निरपेक्ष, लोकतांत्रिक व गणतांत्रिक राजव्यवस्था वाला देश है।

3. संविधान के उद्देश्य :- न्याय, स्वतंत्रता, समानता व बंधुत्व

4. संविधान लागू होने की तिथि - 26 नवंबर, 1949

⇒ प्रस्तावना के मुख्य शब्द :-

i) संप्रभु :- इसका आशय है कि भारत न तो किसी अन्य देश पर निर्भर है और न ही किसी अन्य देश का डोमिनियन है। इसके ऊपर और कोई शक्ति नहीं है और यह अपने मामलों का निस्तारण करने के लिए स्वतंत्र है।

ii) समाजवादी :- भारत के संविधान के नीति-निदेशक तत्वों में समाजवादी लक्षण मौजूद थे परन्तु प्रस्तावना में समाजवादी शब्द वर्ष 1976 के 42वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया। भारतीय समाजवाद लोकतांत्रिक समाजवाद है न कि साम्यवादी समाजवाद। लोकतांत्रिक समाजवाद का उद्देश्य गरीबी, उपेक्षा, बीमारी व अवसर की असमानता को समाप्त करना है। भारतीय समाजवाद मार्क्सवाद और गांधीवादी समाजवाद का ~~मिश्र~~ मिला-जुला रूप है जिसका झुकाव गांधीवादी समाजवाद की ओर ज्यादा है।

Scanned by CamScanner

iii) <u>धर्मनिरपेक्ष</u> :- धर्मनिरपेक्ष शब्द को 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा जोड़ा गया। भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता से आशय है कि राज्य का कोई विशेष धर्म नहीं है। देश में सभी धर्म समान हैं और इन्हें सरकार का समर्थन प्राप्त है।

iv) <u>लोकतांत्रिक</u> :- भारत की लोकतांत्रिक राजव्यवस्था संप्रभुता के सिद्धांत पर आधारित है अर्थात् सर्वोच्च शक्ति जनता के हाथ में है। भारतीय संविधान में प्रतिनिधि संसदीय लोकतंत्र की व्यवस्था है, जिसमें कार्यकारिणी अपनी सभी नीतियों एवं कार्यों के लिए विधायिका के प्रति जवाबदेह है। संविधान की प्रस्तावना में राजनीतिक, सामाजिक व आर्थिक लोकतंत्र का उल्लेख किया गया है।

v) <u>गणतंत्र</u> :-

लोकतंत्र
- राजशाही [अध्यक्ष या राजा उत्तराधिकारिता के माध्यम से पद पर आसीन होता है] - जैसे - ब्रिटेन
- गणतंत्र [राजप्रमुख, प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से एक निश्चित समय के लिए चुनकर आता है - अमेरिका, भारत]

* भारतीय संविधान की प्रस्तावना में गणतंत्र का अर्थ यह है कि भारत का प्रमुख अर्थात् राष्ट्रपति चुनाव के जरिए सत्ता में आता है।

6. <u>न्याय</u> :- प्रस्तावना में न्याय तीन भिन्न रूपों में शामिल है - सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक। इनकी सुरक्षा मौलिक अधिकार व नीति निदेशक सिद्धांतों के विभिन्न उपबंधों के जरिए की जाती है।

* सामाजिक न्याय : हर व्यक्ति के साथ जाति, रंग, धर्म, लिंग के आधार पर बिना भेदभाव किए समान व्यवहार।
* आर्थिक न्याय : आर्थिक कारणों के आधार पर किसी भी व्यक्ति से भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसमें संपदा, आय व संपत्ति की असमानता दूर करना शामिल है।
* राजनीतिक न्याय :- हर व्यक्ति को समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त हैं, प्रत्येक व्यक्ति को अपनी बात सरकार तक पहुंचाने का अधिकार है।

Scanned by CamScanner

vii) स्वतंत्रता :- प्रस्तावना हर व्यक्ति के लिए मौलिक अधिकारों के जरिए अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता सुरक्षित करती है। इनके हनन के मामले में कानून का दरवाजा खटखटाया जा सकता है।

प्रस्तावना में प्रदत्त स्वतंत्रता एवं मौलिक अधिकार शर्तरहित नहीं हैं। प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व के आदर्शों को फ्रांस की क्रांति से लिया गया है।

viii) समता :- समता का अर्थ समाज के किसी भी वर्ग के लिए विशेषाधिकार की अनुपस्थिति और बिना किसी भेदभाव के हर व्यक्ति को समान अवसर प्रदान करने के उपबंध से है।

भारतीय संविधान की प्रस्तावना हर व्यक्ति को नागरिक, आर्थिक व राजनैतिक समता प्रदान करने का उपबंध करती है। मौलिक अधिकारों के

* "अनु० 14, 15, 16, 17, 18 नागरिक समता प्रदान करते हैं।"
* " अनु० -325 (धर्म, जाति, लिंग अथवा वर्ग के आधार पर किसी व्यक्ति को मतदाता सूची में शामिल होने के अयोग्य नहीं माना जा सकता) और अनु-326 (लोकसभा व ~~राज्य~~ विधानसभाओं के लिए वयस्क मतदान का प्रावधान)। अनु 325 व 326 राजनैतिक समता सुनिश्चित करते हैं।
* " अनु० - 39 समान कार्य के लिए समान वेतन (नीति निदेशक तत्व में शामिल) आर्थिक समता प्रदान करने के पक्ष में है।"

ix) बंधुत्व :- भाईचारे की भावना, संविधान की एकल नागरिकता बंधुत्व की भावना को प्रोत्साहित करता है।

प्रस्तावना में उल्लेखित शब्द व्यक्ति का सम्मान तथा देश की एकता व अखण्डता द्वारा बंधुत्व की भावना को प्रोत्साहित करता है।

Scanned by CamScanner

संविधान की मूल संरचना

(13)

⇒ संविधान की मूल संरचना का प्रादुर्भाव :-

* शंकरी प्रसाद मामला (1951) : सर्वोच्च न्यायालय ने व्यवस्था दी कि संसद में अनुच्छेद 368 में संशोधन की शक्ति के अन्तर्गत ही मौलिक अधिकारों में संशोधन की शक्ति अन्तर्निहित है। अनु.-13 के अन्तर्गत सामान्य विधि बनाकर संसद मौलिक अधिकारों में परिवर्तन नहीं कर सकती।

↓

* गोलकनाथ मामला (1967) :- सर्वोच्च न्यायालय ने व्यवस्था दी कि मौलिक अधिकारों को लोकोत्तर (Transcendental) तथा अपरिवर्तनीय (Immutable) स्थान प्राप्त है। इसलिए संसद मौलिक अधिकारों में न तो कटौती कर सकती है, न किसी मौलिक अधिकार को वापस ले सकती है।

↓

* केशवानन्द भारती मामला (1973) :- इस मामले में संविधान की मूल संरचना का प्रतिपादन हुआ और सर्वोच्च न्यायालय ने व्यवस्था दी कि संसद अनु.-368 के माध्यम से मौलिक अधिकारों को सीमित कर सकती है अथवा किसी मौलिक अधिकार को वापस ले सकती है, परन्तु संसद उन मौलिक अधिकारों को वापस नहीं ले सकती जो संविधान की मूल संरचना से जुड़े हैं।

↓

+ 42वाँ संविधान संशोधन :- संसद ने अधिनियम पारित किया कि संसद की विधायी शक्तियों की कोई सीमा नहीं है और किसी भी संविधान संशोधन को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती - किसी भी आधार पर, चाहे वह मौलिक अधिकारों के उल्लंघन का ही क्यों न हो।

↓

* मिनर्वा मिल मामला (1980) :- 42वें संविधान संशोधन में संसद द्वारा पारित किए गए अधिनियम को सर्वोच्च न्यायालय ने अमान्य घोषित कर दिया क्योंकि इसमें न्यायिक समीक्षा के लिए कोई स्थान नहीं था, जो कि संविधान की मूल विशेषता है। सर्वोच्च न्यायालय ने केशवानन्द भारती मामले की व्यवस्था को ही बहाल रखा।

Scanned by CamScanner

⇒ **संविधान की मूल संरचना के तत्व :-**

1. संविधान की सर्वोच्चता
2. भारतीय राजनीति की सार्वभौम, लोकतांत्रिक तथा गणराज्य प्रकृति।
3. संविधान का धर्म निरपेक्ष चरित्र
4. विधायिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका के बीच शक्ति का विभाजन
5. संविधान का संघीय स्वरूप
6. राष्ट्र की एकता और अखण्डता
7. कल्याणकारी राज्य (सामाजिक - आर्थिक न्याय)
8. न्यायिक समीक्षा
9. वैयक्तिक स्वतंत्रता एवं गरिमा
10. संसदीय प्रणाली
11. कानून का शासन
12. मौलिक अधिकार व नीति निदेशक सिद्धान्तों के बीच संतुलन
13. समता का सिद्धान्त
14. स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव
15. न्यायपालिका की स्वतंत्रता
16. संविधान संशोधन की संसद की सीमित शक्ति
17. न्याय तक प्रभावकारी पहुँच
18. तर्कसंगतता का सिद्धांत
19. अनु०-32, 136, 141 तथा 142 के अन्तर्गत सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त शक्तियाँ।

अतः संसद उपरोक्त सिद्धांतों को संविधान संशोधन के माध्यम से भी सीमित नहीं कर सकती।

Scanned by CamScanner

संविधान का संशोधन

(15)

* संविधान के भाग 20 के अनुच्छेद -368 में संसद को संविधान एवं उसकी व्यवस्था में संशोधन की शक्ति प्रदान की गयी है। संसद अपनी संविधायी शक्ति का प्रयोग करते हुए संविधान के किसी भी उपबंध का परिवर्धन, परिवर्तन या निरसन के रूप में संशोधन कर सकती है। संसद संविधान की उन व्यवस्थाओं को संशोधित नहीं कर सकता, जो संविधान के मूल ढाँचे से संबंधित हों।

Raj Holkar

⇒ संशोधन प्रक्रिया :-

* संविधान के संशोधन का आरंभ संसद के किसी भी सदन में विधेयक लाया जा सकता है।
* विधेयक को किसी भी मंत्री या गैर-सरकारी सदस्य द्वारा पुरःस्थापित किया जा सकता है इसके लिए राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति आवश्यक नहीं है।
* विधेयक को दोनों सदनों में विशेष बहुमत (सदन के कुल सदस्य संख्या के आधार पर (50 प्रतिशत से अधिक उपस्थिति) सदन में उपस्थित सदस्यों के दो तिहाई बहुमत द्वारा पारित होना चाहिए।
* दोनों सदनों के बीच असहमति होने पर संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है।
* यदि विधेयक संविधान की संघीय व्यवस्था के संशोधन के मुद्दे पर हो तो इसे आधे राज्यों के विधानमण्डलों से भी सामान्य बहुमत से पारित होना चाहिए।
* संसद के दोनों सदनों से पारित होने के बाद विधेयक राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। राष्ट्रपति विधेयक को न तो अपने पास रख सकता है और न ही संसद को पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है। ~~राष्ट~~ राष्ट्रपति द्वारा संविधान संशोधन विधेयक पर सहमति देना बाध्यकारी है।
* राष्ट्रपति की सहमति के बाद विधेयक अधिनियम बन जाता है।

⇒ संशोधन के प्रकार :- अनु.-368 दो प्रकार के संशोधनों की व्यवस्था करता है - i) संसद के विशेष बहुमत द्वारा ii) संसद का विशेष बहुमत तथा राज्यों की स्वीकृति द्वारा।

लेकिन कुछ अन्य अनुच्छेद संसद के साधारण बहुमत से ही संशोधित हो सकते हैं, ये संशोधन साधारण विधायी प्रक्रिया द्वारा होते हैं। अतः ये संशोधन अनु० -368 के उद्देश्यों के तहत नहीं होते।

Scanned by CamScanner

https://t.me/UPSC_Prelims https://t.me/UPSC_Mains

⇒ संविधान संशोधन के प्रकार :-

i) संसद के साधारण बहुमत द्वारा संशोधन
ii) संसद के विशेष बहुमत द्वारा संशोधन
iii) संसद के विशेष बहुमत द्वारा एवं आधे राज्य विधान मण्डलों की संस्तुति के उपरान्त

i) साधारण बहुमत द्वारा संशोधन :- ये व्यवस्था अनुच्छेद 368 की सीमा से बाहर है -

- नए राज्यों का प्रवेश या गठन
- नए राज्यों का निर्माण, उनके क्षेत्र, सीमाओं या संबंधित राज्यों के नाम परिवर्तन।
- राज्य विधान परिषद का निर्माण व उसकी समाप्ति।
- राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष, न्यायाधीश आदि के लिए उपलब्धियाँ, भत्ते व विशेषाधिकार आदि (दूसरी अनुसूची)
- संसद में गणपूर्ति
- संसद सदस्यों के वेतन एवं भत्ते
- संसद में अंग्रेजी भाषा का प्रयोग
- संसद, संसद सदस्य व इनकी समितियों के विशेषाधिकार
- उच्चतम न्यायालय में अवर न्यायाधीशों की संख्या
- उच्चतम न्यायालय के न्यायक्षेत्र को ज्यादा महत्व प्रदान करना
- राजभाषा का उपयोग
- नागरिकता की प्राप्ति एवं समाप्ति।
- निर्वाचन क्षेत्रों का पुनर्निर्धारण
- पांचवीं अनुसूची एवं छठवीं अनुसूची

ii) संसद के विशेष बहुमत द्वारा :- प्रत्येक सदन के उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के दो-तिहाई बहुमत।

- मूल अधिकार
- राज्य के नीति निदेशक तत्व
- वे सभी उपबंध जो अन्य दो श्रेणियों से सम्बद्ध नहीं हैं।

iii) संसद के विशेष बहुमत एवं राज्यों की स्वीकृति द्वारा :-

- राष्ट्रपति का निर्वाचन एवं इसकी प्रक्रिया
- केन्द्र व राज्य कार्यकारिणी की शक्तियों का विस्तार
- उच्चतम एवं उच्च न्यायालय की शक्तियाँ
- केन्द्र एवं राज्य के बीच विधायी शक्तियों का विभाजन
- सातवीं अनुसूची से संबद्ध कोई विषय
- संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व
- संविधान संशोधन की संसद की शक्ति व प्रक्रिया (अनु. - 368 स्वयं)।

https://t.me/UPSC_Prelims https://t.me/UPSC_Mains Scanned by CamScanner

संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र

(17)

* संविधान के भाग 1 के अन्तर्गत अनु॰ 1 से 4 तक संघ एवं इसके क्षेत्रों की चर्चा की गई है।

⇒ राज्यों का संघ :- अनु॰ 1 में कहा गया है कि इंडिया यानि भारत बजाय 'राज्यों के समूह' के 'राज्यों का संघ' होगा। संविधान सभा ने संविधान में भारत का नाम 'इंडिया जो कि भारत है।" को चुना है।

* संविधान के अनु॰-1 में वर्णित 'राज्यों का संघ' का अर्थ है कि भारतीय संघ राज्यों के बीच में कोई समझौते का परिणाम नहीं है तथा राज्यों को संघ से निकलने होने का अधिकार नहीं है।
* अनु॰-1 के अनुसार भारतीय क्षेत्र को तीन श्रेणियों में बाँटा जा सकता है -
  i) राज्यों के क्षेत्र ii) संघ क्षेत्र iii) ऐसे क्षेत्र जिन्हें किसी भी समय भारत सरकार द्वारा अधिग्रहित किया जा सकता है।
* राज्यों एवं संघ शासित राज्यों के नाम, उनके क्षेत्र विस्तार को संविधान की पहली अनुसूची में दर्शाया गया है। इस वक्त 29 राज्य एवं 7 केन्द्र शासित प्रदेश हैं। राज्यों के संदर्भ में संविधान के उपबंध की व्यवस्था सभी राज्यों पर (जम्मू एवं कश्मीर को छोड़कर) समान रूप से लागू है।

⇒ राज्यों के पुनर्गठन संबंधी संसद की शक्ति :-

* अनु॰-3 संसद को अधिकृत करता है -
  i) किसी राज्य में से उसका राज्य क्षेत्र अलग करके अथवा दो या अधिक राज्यों को या राज्यों के भागों को मिलाकर अथवा किसी राज्यक्षेत्र को किसी राज्य के साथ मिलाकर नए राज्य का निर्माण कर सकेगी।
  ii) किसी राज्य के क्षेत्र को बढ़ा सकेगी एवं घटा सकेगी।
  iii) किसी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकेगी।
  iv) किसी राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकेगी।

नोट :- उपरोक्त परिवर्तन से संबंधित कोई अध्यादेश राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के बाद ही संसद में पेश किया जा सकता है।
- संस्तुति से पूर्व राष्ट्रपति उस अध्यादेश को संबंधित राज्य विधानमण्डल का मत जानने के लिए भेजता है। यह मत निश्चित समय सीमा के अन्दर देना होता है।
- राष्ट्रपति या संसद, राज्य विधानमण्डल के मत को मानने के लिए बाध्य नहीं हैं, वे इसे स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं।

Scanned by CamScanner

* संविधान, संसद को यह अधिकार देता है कि वह नए राज्य बनाने, इसमें परिवर्तन करने, नाम बदलने या सीमा में परिवर्तन के संबंध में बिना राज्यों की अनुमति के भी कदम उठा सकती है।

* संविधान द्वारा क्षेत्रीय एकता या राज्य के अस्तित्व को गारण्टी नहीं दी गयी है। भारत को विभक्त राज्यों का अविभाज्य संघ कहा गया है क्योंकि संघ सरकार, राज्य को समाप्त कर सकती है जबकि राज्य सरकार संघ को समाप्त नहीं कर सकती।

* संविधान के अनु.-4 में यह घोषित किया गया है कि अनु.-2 के अंतर्गत नए राज्यों का प्रवेश या गठन, नए राज्यों के निर्माण, सीमाओं, क्षेत्रों और नामों में परिवर्तन (अनु.-3) को संविधान के अनु.-368 के तहत संशोधन नहीं माना जाएगा।

* संसद की शक्ति राज्यों की सीमा समाप्त करने और भारतीय क्षेत्र को अन्य देश को देने की नहीं है। यह कार्य अनु.-368 में ही संशोधन कर किया जा सकता है। 1969 में उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी कि भारत और अन्य देश के बीच सीमा निर्धारण विवाद को हल करने के लिए संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता नहीं है। यह कार्य कार्यपालिका द्वारा किया जा सकता है किन्तु इसमें भारतीय क्षेत्र को विदेश को सौंपना शामिल नहीं है।

⇒ राज्यों एवं केन्द्र शासित प्रदेशों का उद्भव :-

* स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत में 552 रियासतें भारत की भौगोलिक सीमा में थी जिनमें से 549 रियासतें स्वेच्छा से भारत में शामिल हो गयी किन्तु 3 रियासतों हैदराबाद, जूनागढ़ व कश्मीर ने भारत में शामिल होने से इंकार कर दिया। बाद में हैदराबाद को पुलिश कार्यवाही द्वारा, जूनागढ़ को जनमत संग्रह द्वारा एवं कश्मीर को विलय पत्र द्वारा भारत में शामिल किया गया।

प्रमुख आयोग व उनके सुझाव :-

i) धर आयोग :- भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन पर विचार के लिए 1948 में भारत सरकार ने एस. के. धर की अध्यक्षता में भाषायी प्रांत आयोग की नियुक्ति की। आयोग ने सिफारिश की कि राज्यों का पुनर्गठन भाषायी कारक की बजाय प्रशासनिक सुविधा के अनुसार होना चाहिए। परन्तु इनकी इस सिफारिश से असंतोष फैल गया।

Scanned by CamScanner

ii) जे॰वी॰पी॰ समिति :- धर आयोग की सिफारिशों से उत्पन्न असंतोष के बाद भारत सरकार ने दिसम्बर, 1948 में एक अन्य भाषायी प्रांत समिति का गठन किया इसमें जवाहरलाल नेहरू, वल्लभभाई पटेल व पट्टाभिसीतारमैया शामिल थे। इस समिति ने भी भाषायी आधार पर राज्यों के पुनर्गठन को सही नहीं माना किन्तु 1953 में आंध्रप्रदेश के गठन के लिए मांग करने वाले आन्दोलनकारी पोट्टी श्री रामुलु का 56 दिनों की भूख हडताल के बाद निधन हो गया जिससे तेलुगू भाषी लोगों का आन्दोलन उग्र हो गया एवं सरकार को मजबूरन भाषा के आधार पर प्रथम राज्य आन्ध्रप्रदेश का निर्माण करना पडा।

iii) फजल अली आयोग :- भारत सरकार ने दिसम्बर, 1953 में फजल अली की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया। इसमें कुल तीन सदस्य थे - फजल अली (अध्यक्ष), के॰एम॰ पणिक्कर और एच॰ एन॰ कुंजरू। आयोग ने यह स्वीकार किया कि राज्यों के पुनर्गठन में भाषा को मुख्य आधार बनाया जाना चाहिए। लेकिन इसने 'एक राज्य एक भाषा' के सिद्धांत को स्वीकार नहीं किया इसका मत था कि - "किसी भी राजनीतिक इकाई के पुनर्निमाण/पुनर्निर्धारण में भारत की एकता को प्रमुखता दी जानी चाहिए। समिति ने राज्यों के पुनर्गठन योजना के लिए चार बडे कारक बताए -

a. देश की एकता एवं सुरक्षा की अनुरक्षण एवं संरक्षण।
b. भाषायी व सांस्कृतिक एकरूपता
c. वित्तीय, आर्थिक एवं प्रशासनिक तर्क।
d. प्रत्येक राज्य एवं पूरे देश में लोगों के कल्याण की योजना और इसका संवर्धन।

⇒ 1956 के बाद बनाए गये राज्य व केन्द्र शासित प्रदेश।

- महाराष्ट्र व गुजरात : 1960 में बंबई का भाषा के आधार पर पृथक्करण
- दादरा व नगर हवेली : 1961 में 10वें संवि॰ संशोधन द्वारा
- गोवा, दमन व दीव : 1961 में पुलिस कार्यवाही द्वारा, 12वां संवि॰ संशोधन
- पुदुचेरी : 1954 में फ्रांस ने भारत को सौंपा, 14वां संवि॰ संशोधन द्वारा UT बना।
- नागालैण्ड : 1963 में नागा आन्दोलनकारियों की संतुष्टि के लिए।
- हरियाणा, चण्डीगढ़ व हिमाचल : 1966 में भाषायी आधार पर
- मणिपुर, त्रिपुरा व मेघालय : 1972 में, 22वां संवि. संशो. 1969 द्वारा
- सिक्किम : 1975 में 36वां संवि॰ संशोधन।
- छत्तीसगढ़, उत्तराखण्ड और झारखण्ड : सन 2000 में
- तेलंगाना : 2015 में।

Scanned by CamScanner

नागरिकता (Citizenship)

* नागरिक भारतीय राज्य के पूर्ण सदस्य होते हैं और उनकी राज्य पर पूर्ण निष्ठा होती है। इन्हें सभी सिविल और राजनीतिक अधिकार प्राप्त होते हैं।

⇒ केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकार व विशेषाधिकार :-

- धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद के विरुद्ध अधिकार [अनु.-15]।
- लोक नियोजन के विषय में समता का अधिकार [अनु.-16]।
- वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सम्मेलन, संघ, संचरण, निवास व व्यवसाय की स्वतंत्रता (अनु.-19)।
- संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार (अनु. 29 व 30)।
- लोकसभा व राज्य विधान सभाओं में मतदान का अधिकार।
- संसद एवं राज्य विधानमण्डल की सदस्यता के लिए चुनाव लड़ने का अधिकार।
- सार्वजनिक पदों जैसे - राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, राज्यों के राज्यपाल, महान्यायवादी एवं महाधिवक्ता की योग्यता रखने का अधिकार।

⇒ संविधान निर्माण एवं लागू होने के समय भारतीय नागरिकता की श्रेणियाँ :-

i) एक व्यक्ति जो भारत का मूल निवासी है व इन शर्तों को पूरा करता है -
   - यदि उसका जन्म भारत में हुआ हो। या,
   - उसके माता-पिता में से किसी एक का जन्म भारत में हुआ हो। या,
   - संविधान लागू होने के पांच वर्ष पूर्व से भारत में रह रहा हो।

ii) एक व्यक्ति जो पाकिस्तान से भारत आया हो और यदि उसके माता-पिता या दादा-दादी अविभाज्य भारत में पैदा हुए हों और इन शर्तों को पूरा करता हो -
   - यदि वह 19 जुलाई से पूर्व स्थानांतरित (19 जुलाई, 1948) हुआ हो, अपने प्रवसन की तिथि से उसने सामान्यत: भारत में निवास किया हो। या,
   - यदि उसने 19 जुलाई, 1948 को या उसके बाद भारत में प्रवसन किया हो, तो वह भारत के नागरिक के रूप में पंजीकृत हो सकता है लेकिन ऐसे व्यक्ति के पंजीकृत होने के लिए 6 माह तक भारत में निवास करना आवश्यक है। [अनु.-6]

Scanned by CamScanner

iii) एक व्यक्ति, जो 1 मार्च 1947 के बाद भारत से पाकिस्तान स्थानांतरित हो गया हो, लेकिन बाद में फिर भारत में पुनर्वास के लिए लौट आया हो। ऐसे व्यक्ति को पंजीकरण प्रार्थना पत्र के बाद 6 माह तक भारत में रहना अनिवार्य है। [अनु॰-7]

iv) एक व्यक्ति, जिसके माता-पिता या दादा-दादी अविभाज्य भारत में पैदा हुए हों लेकिन वह भारत के बाहर रह रहा हो। वह भारत का नागरिक बन सकता है यदि उसने भारत के नागरिक के रूप में पंजीकरण कूटनीतिज्ञ तरीके से या पार्षदीय प्रतिनिधि के रूप में आवेदन किया हो। [अनु॰-8]

⇒ नागरिकता समाप्ति से संबंधित मूल संविधान के उपबंध :-

i) वह व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं होगा जो स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर लेगा (अनु॰-9)।

ii) प्रत्येक व्यक्ति जो भारत का नागरिक है, यदि संसद उसकी नागरिकता समाप्त करे।

नोट:- संसद को यह अधिकार है कि वह नागरिकता के अर्जन और समाप्ति के तथा नागरिकता से संबंधित अन्य सभी विषयों के संबंध में विधि बना सकती है। (अनु॰-11)

⇒ नागरिकता अधिनियम, 1955 :- नागरिकता अधिनियम, 1955 संविधान लागू होने के बाद अर्जन एवं समाप्ति के बारे में उपबन्ध करता है। इस अधिनियम को अब तक 5 बार संशोधित किया गया है -

i) नागरिकता संशोधन अधिनियम, 1986
ii) नागरिकता संशोधन अधिनियम, 1992
iii) नागरिकता संशोधन अधिनियम, 2003
iv) नागरिकता संशोधन अधिनियम, 2005
v) नागरिकता संशोधन अधिनियम, 2015

Raj Holkar

* नागरिकता का अर्जन :- नागरिकता अधिनियम, 1955 नागरिकता प्राप्त करने की 5 शर्तें बताता है -

i) जन्म से
ii) वंशानुगत
iii) पंजीकरण द्वारा
iv) प्राकृतिक
v) क्षेत्र समाविष्ट करने के आधार पर।

Scanned by CamScanner

i) जन्म से प्राप्त नागरिकता :-

जन्म (भारत में)

- **1 जुलाई, 1947 से पूर्व जन्मा व्यक्ति**
  - माता-पिता के जन्म की राष्ट्रीयता के बावजूद भारत का नागरिक होगा।
- **1 जुलाई के बाद (1947) जन्मा व्यक्ति**
  - जन्म के समय उसके माता-पिता में से कोई एक भारतीय नागरिक हो।
- **3 दिसम्बर, 2004 के बाद जन्मा व्यक्ति**
  - माता पिता दोनों उसके जन्म के समय भारतीय नागरिक हों अथवा उनमें से कोई एक भारतीय नागरिक हो व दूसरा अवैध प्रवासी न हो।

नोट :- भारत में पदस्थ विदेशी ~~राजनयिक~~ राजनयिकों के बच्चे जो भारत में जन्म लें व शत्रु देश के बच्चों को भारत की नागरिकता अर्जित करने का अधिकार नहीं है।

ii) वंश के आधार पर नागरिकता :-

वंश के आधार पर (जन्म भारत से बाहर)

- **26 जनवरी, 1950 के बाद 10 दिसम्बर, 1992 से पूर्व भारत के बाहर जन्मा**
  - यदि जन्म के समय उसका पिता भारत का नागरिक हो।
- **10 दिसम्बर, 1992 को या इसके बाद भारत के बाहर जन्मा व्यक्ति**
  - यदि जन्म के समय उसके माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक हो।
- **3 दिसम्बर, 2004 के बाद भारत से बाहर जन्मा व्यक्ति**
  - उसके जन्म के एक वर्ष के भीतर पंजीकरण कराना आवश्यक है व किसी अन्य देश का पासपोर्ट धारक न हो।

iii) पंजीकरण द्वारा नागरिकता :- अवैध प्रवासियों को छोड़कर केन्द्र सरकार किसी व्यक्ति को भारतीय नागरिक के रूप में पंजीकृत कर सकती है इसके लिए कुछ श्रेणियाँ घोषित हैं जो निम्न प्रकार से हैं -

- भारतीय मूल का व्यक्ति जो आवेदन देने से ठीक पूर्व 7 वर्ष भारत में रह चुका हो।
- भारतीय मूल का व्यक्ति जो अविभाजित भारत के बाहर या किसी अन्य देश में अन्यत्र रह रहा हो।

- वह व्यक्ति जिसने भारतीय नागरिक से विवाह किया हो और आवेदन से पूर्व 7 वर्ष से भारत में रह रहा हो।
- ~~भारत~~ भारत के नागरिक के नाबालिग बच्चे।
- कोई व्यक्ति जो पूरी आयु तथा क्षमता का हो तथा उसके माता-पिता भारत के नागरिक के रूप में पंजीकृत हो।
- कोई व्यक्ति जो पूरी आयु व क्षमता का हो तथा वह या उसके माता-पिता स्वतंत्र भारत के नागरिक के रूप में पंजीकृत हो तथा आवेदन से पूर्व 1 वर्ष से भारत में रह रहा हो।
- कोई व्यक्ति जो पूरी आयु व क्षमता का हो तथा वह समुद्र पार किसी देश के नागरिक के रूप में पाँच वर्ष से पंजीकृत हो व आवेदन से पूर्व 1 वर्ष से भारत में रह रहा हो
  - * इस प्रकार के व्यक्ति को मूलतः भारत का निवासी माना जा सकता है यदि -
  - i) आवेदन से 12 माह पूर्व से भारत में रह रहा हो।
  - ii) भारत में वह 8 वर्ष पूर्व से रह रहा हो तथा आवेदन के ठीक पहले कम से कम 12 माह पूर्व से वह भारत में रह रहा हो।

<u>नोट</u>:- एक व्यक्ति जन्म से भारतीय मूल का माना जायेगा, यदि वह या उसके माता पिता में से कोई अविभाजित भारत में पैदा हुए हों या 15 अगस्त, 1947 के बाद भारत का अंग बनने वाले किसी भू-क्षेत्र के निवासी हों।

iv) <u>प्राकृतिक रूप से नागरिकता</u>:-

- ऐसे देश से संबंधित नहीं हो जहाँ भारतीय नागरिक प्राकृतिक रूप से नागरिक नहीं बन सकते।
- यदि वह भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए पूर्व नागरिकता (किसी अन्य देश की) को त्याग दे।
- यदि वह भारत में रह रहा हो या भारत सरकार की सेना में हो तथा आवेदन देने से 12 माह पूर्व से भारत में रह रहा हो।
- उसका चरित्र अच्छा हो।
- वह संविधान की अनुसूची-8 में उल्लिखित भाषाओं का ~~अच्छा अच्छा~~ अच्छा ज्ञाता हो।
- वह भारत में रहने का इच्छुक हो व भारत सरकार की सेवा या अन्य संस्थान जहाँ व्यक्तियों का निकाय हो अपनी सेवा जारी रखे।

<u>नोट</u>:- यदि व्यक्ति सेवा, विज्ञान, दर्शन, कला, साहित्य, विश्व शांति या मानव उन्नति से संबंध रखता हो तो भारत सरकार उपरोक्त किसी एक प्रावधान या सभी प्रावधानों का दावा हटा सकती है।

Scanned by CamScanner

v) क्षेत्र समाविष्टि द्वारा :- किसी विदेशी क्षेत्र द्वारा भारत का हिस्सा बनने पर भारत सरकार उस क्षेत्र से संबंधित विशेष व्यक्तियों को भारत का नागरिक घोषित करती है।

⇒ नागरिकता की समाप्ति :- नागरिकता अधिनियम, 1955 में संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार प्राप्त नागरिकता खोने के तीन कारण बताए गए हैं-

i) स्वैच्छिक त्याग :- एक भारतीय नागरिक जो पूर्ण आयु व क्षमता का हो वह स्वेच्छा से नागरिकता का त्याग कर सकता है। ऐसी स्थिति में उसके सभी नाबालिग बच्चों की भी नागरिकता समाप्त हो जाएगी।

ii) बर्खास्तगी के द्वारा :- यदि कोई भारतीय नागरिक स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर ले तो उसकी भारतीय नागरिकता स्वतः बर्खास्त हो जाएगी।

iii) वंचित करने द्वारा :- केन्द्र सरकार द्वारा भारतीय नागरिक को निम्न कारणों से उसकी नागरिकता से बर्खास्त किया जा सकता है-
- यदि नागरिकता फर्जी तरीके से प्राप्त की गयी हो।
- यदि नागरिक ने संविधान के प्रति अनादर जताया हो।
- यदि नागरिक ने युद्ध के दौरान शत्रु के साथ गैर-कानूनी रूप से संबंध स्थापित किया हो या उसे कोई राष्ट्रविरोधी सूचना दी हो।
- पंजीकरण या प्राकृतिक नागरिकता के पाँच वर्ष के दौरान नागरिक को किसी देश में दो वर्ष की कैद हुई हो।
- नागरिक सामान्य रूप से भारत के बाहर सात वर्षों से रह रहा हो

Join Whatsapp # 9650697922

Scanned by CamScanner

मूल अधिकार (Fundamental Rights)

* संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकारों का विवरण है। इस संबंध में संविधान निर्माता अमेरिकी संविधान से प्रभावित रहे।
* संविधान के भाग 3 को 'भारत का मैग्नाकार्टा' की संज्ञा दी गयी है।
* मूल अधिकारों में प्रत्येक व्यक्ति के लिए समानता, सम्मान, राष्ट्रहित और राष्ट्रीय एकता को समाहित किया गया है।
* मूल अधिकार देश में व्यवस्था बनाए रखने एवं राज्य के कठोर नियमों के खिलाफ नागरिकों की आजादी की सुरक्षा करते हैं। ये विधानमण्डल के कानून के क्रियान्वयन पर तानाशाही को मर्यादित करते हैं।
* मूल अधिकारों का उद्देश्य कानून की सरकार बनाना है न कि व्यक्तियों की।
* मूल अधिकार व्यक्ति के चहुँमुखी विकास (भौतिक, बौद्धिक, नैतिक एवं आध्यात्मिक) के लिए आवश्यक हैं।

वर्तमान में संविधान में 6 मूल अधिकार हैं -

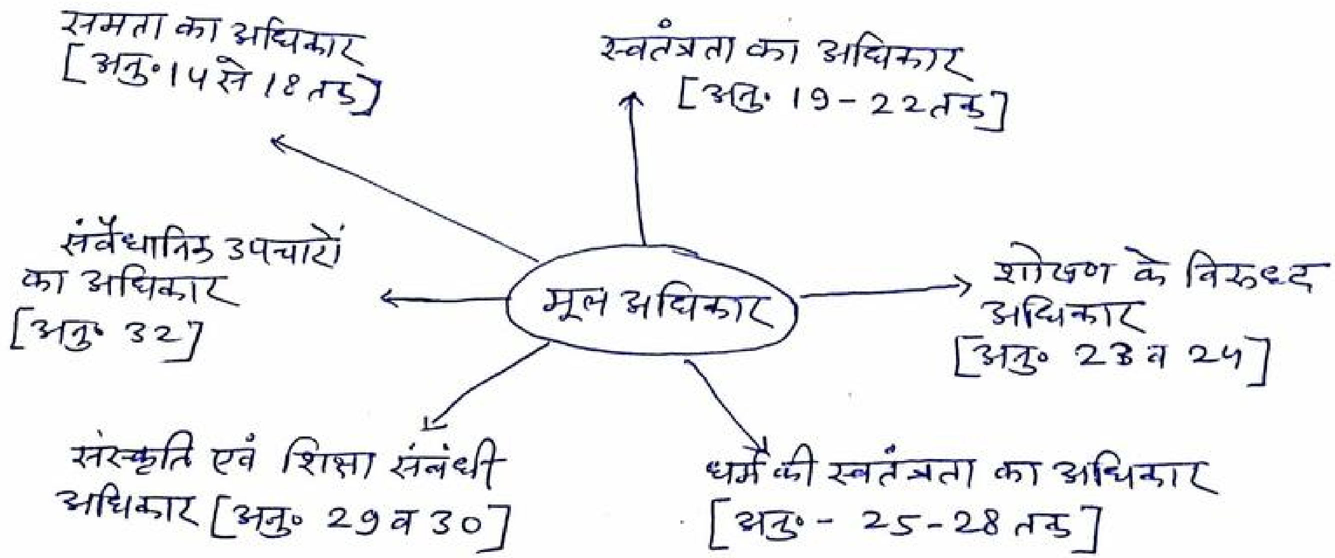

=> **मूल अधिकारों की विशेषताएँ :-**

- ये असीमित नहीं हैं, परन्तु वाद योग्य हैं। राज्य इन पर युक्तियुक्त प्रतिबंध लगा सकता है। कारण उचित है या नहीं इसका निर्णय अदालत करती है।
- इनमें से कुछ नकारात्मक विशेषताओं वाले हैं तथा कुछ सकारात्मक विशेषताओं वाले हैं।
- ये न्यायोचित हैं। उच्चतम न्यायालय द्वारा गारण्टी व सुरक्षा प्रदान की जाती है। पीड़ित व्यक्ति सीधे उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय में जा सकता है।

- ये स्थायी नहीं हैं, संसद इनमें कटौती या कमी कर सकती है, लेकिन इनमें कटौती या कमी संविधान संशोधन, अनु- 368 के तहत ही की जा सकती है तथा संशोधन संविधान के मूल ढांचे को प्रभावित किए बिना किया जा सकता है।
- राष्ट्रीय आपातकाल की सक्रियता के दौरान अनु॰ 20 एवं 21 को छोड़कर अन्य अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है।
- अनु॰-19 को केवल युद्ध या बाहरी आक्रमण की स्थिति में निलंबित किया जा सकता है सशस्त्र विद्रोह के आधार पर निलंबित नहीं किया जा सकता।
- सशस्त्र बलों, अर्द्ध सैनिक बलों, पुलिस बलों, गुप्तचर संस्थाओं और ऐसी ही सेवाओं से संबंधित सेवाओं के क्रियान्वयन पर संसद प्रतिबंध लगा सकती है।
- ऐसे क्षेत्रों में मूल अधिकारों पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है जहाँ फौजी कानून अथवा सैन्य शासन लागू हो।
- ज्यादातर मूल अधिकार स्वयं प्रवर्तित हैं जबकि कुछ को कानून की मदद से प्रभावी बनाया जाता है।

Raj Holkar

1. समानता का अधिकार :-

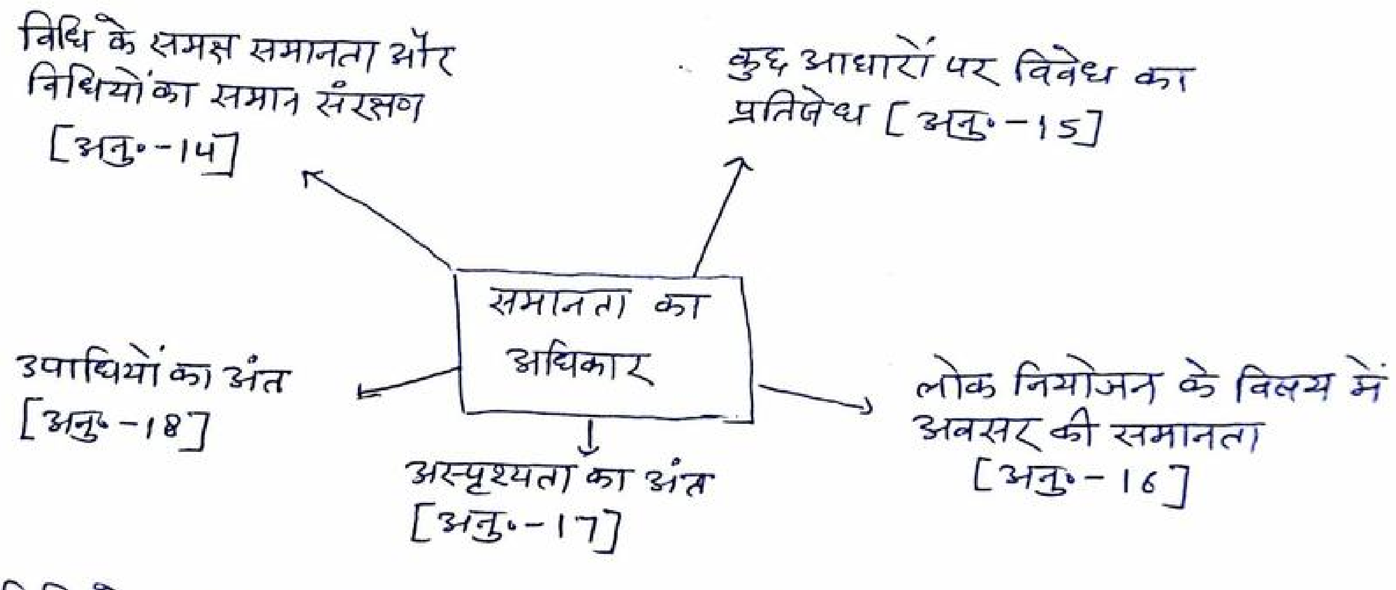

i) विधि के समक्ष समानता :- प्रत्येक व्यक्ति चाहे वह नागरिक हो या विदेशी सभी पर समान रूप से लागू होता है।
- राज्य भारत के क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा।
- सर्वोच्च न्यायालय का मानना है कि अनु॰ 14 में उल्लेखित विधि का शासन ही संविधान का मूल तत्व है।

Scanned by CamScanner

* अपवाद :-
- भारत के राष्ट्रपति एवं राज्यपाल को प्राप्त विशेषाधिकार [अनु॰ 361] :-
  • राष्ट्रपति एवं राज्यपाल अपने कार्यकाल में किए गये किसी निर्णय या कार्य के लिए देश के किसी भी न्यायालय में जबावदेह नहीं हैं।
  • राष्ट्रपति व राज्यपाल के विरुद्ध उसकी पदावधि के दौरान किसी भी न्यायालय में किसी भी प्रकार की दांडिक कार्यवाही प्रारंभ या चालू नहीं रखी जा सकती।
  • राष्ट्रपति या राज्यपाल की पदावधि के दौरान उसकी गिरफ्तारी या फिर कारावास की प्रक्रिया प्रारंभ नहीं की जा सकती।
  • राष्ट्रपति या राज्यपाल पर उनके कार्यकाल के दौरान व्यक्तिगत सामर्थ्य से किए गए किसी कार्य के लिए किसी भी न्यायालय में दीवानी मुकदमा नहीं चलाया जा सकता।
- कोई भी व्यक्ति यदि संसद के या राज्य विधान सभा के दोनों सदनों या किसी एक सदन की सत्य कार्यवाही से संबंधित विषय वस्तु का प्रकाशन समाचार पत्र, रेडियो या टीवी में करता है तो उस पर किसी भी प्रकार का दीवानी या फौजदारी का मुकदमा नहीं चलाया जा सकेगा।
- संसद में या किसी समिति में संसद के किसी सदस्य द्वारा कही गई किसी बात या दिए गए किसी मत के संबंध में कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती।
- विदेशी संप्रभु (शासक), राजदूत एवं कूटनीतिक व्यक्ति, दीवानी व फौजदारी मुकदमों से मुक्त होंगे।
- संयुक्त राष्ट्र संघ एवं इसकी एजेंसियों को भी कूटनीतिक मुक्ति प्राप्त है।

नोट :- विधि के समक्ष समता का विचार ब्रिटिश मूल का है, जबकि विधियों का समान संरक्षण को अमेरिका के संविधान से लिया गया है।

* विधि के समक्ष समता :- किसी व्यक्ति के पक्ष में विशिष्ट विशेषाधिकारों की अनुपस्थिति, साधारण विधि के तहत सभी व्यक्तियों से समान व्यवहार, कोई व्यक्ति (ऊँचा नीचा, अमीर गरीब) विधि से ऊपर नहीं है। यह नकारात्मक संदर्भ को प्रस्तुत करता है।
* विधियों के समान संरक्षण :- विधि द्वारा प्रदत्त विशेषाधिकारों और अध्यारोपित दायित्वों दोनों में समान परिस्थितियों के अंतर्गत व्यवहार की समता, समान विधि के अंतर्गत सभी व्यक्तियों के लिए समान नियम, बिना भेदभाव के समान व्यवहार। यह सकारात्मक संदर्भ प्रस्तुत करता है।

⇒ विधि के समक्ष समता एवं विधियों का समान संरक्षण दोनों गुण ही इस अधिकार में शामिल है।

Scanned by CamScanner

ii) कुछ आधारों पर विभेद का प्रतिषेध :- [अनु०-15]

अनु०-15 में यह व्यवस्था दी गयी है कि राज्य किसी नागरिक के साथ केवल धर्म, जाति, मूलवंश, लिंग या जन्म स्थान को लेकर विभेद नहीं करेगा। कोई नागरिक केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर -
(क) दुकानों, सार्वजनिक भोजनालयों, होटलों और सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों में प्रवेश या,
(ख) पूर्णतः या भागतः राज्य निधि से पोषित या साधारण जनता के लिए प्रयोग के लिए समर्पित कुओं, तालाबों, स्नान घाटों, दायित्वों, निर्बंधन या शर्त के अधीन नहीं होगा।

⇒ अपवाद :-
a) राज्य को इस बात की अनुमति है कि वह बच्चों या महिलाओं के लिए विशेष व्यवस्था करे। उदाहरण - स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था व बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था, जेंडर बजट आदि।
b) राज्य को अनुमति है कि वह सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों या अनुसूचित जाति एवं जनजाति के विकास के लिए कोई विशेष उपबंध करे। उदा०- विधानमण्डल में सीटों का आरक्षण, सार्वजनिक शैक्षणिक संस्थाओं से शुल्क में छूट
c) राज्य को अधिकार है कि वह सामाजिक एवं शैक्षिक रूप से पिछड़े लोगों या अनु० जाति या जनजाति के लोगों के उत्थान के लिए शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश के लिए छूट संबंधी कोई नियम बना सकता है।

iii) लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता (अनु०-16) :-

अनु०-16 में राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समता होगी।

⇒ अपवाद :-
a) संसद किसी विशेष रोजगार के लिए निवास की शर्त आरोपित कर सकती है।
b) राज्य नियुक्तियों के आरक्षण की व्यवस्था कर सकता है या किसी पद को पिछड़े वर्ग के पक्ष में बना सकता है जिनका कि राज्य में समान प्रतिनिधित्व नहीं है।
c) विधि के तहत किसी संस्था या इसके कार्यकारी परिषद के सदस्य या किसी की धार्मिक आधार पर व्यवस्था की जा सकती है।

Scanned by CamScanner

⇒ मण्डल आयोग और उसके परिणाम :- वर्ष 1979 में मोरारजी देसाई सरकार ने द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन संसद सदस्य बी.पी. मंडल की अध्यक्षता में किया। आयोग ने अपनी रिपोर्ट 1980 में प्रस्तुत की और 3743 जातियों की पहचान की जो सामाजिक एवं शैक्षणिक आधार पर पिछड़ी थी। जनसंख्या में इनका हिस्सा 52%. था जिसमें अनुसूचित जाति एवं जनजाति शामिल नहीं हैं। आयोग ने अन्य पिछड़ा वर्गों के लोगों के लिए सरकारी नौकरियों में 27 प्रतिशत आरक्षण की सिफारिश की।

- सुझाव :-

* अन्य पिछड़े वर्गों के ~~लिए~~ क्रीमीलेयर से संबंधित लोगों को आरक्षण की सुविधा से बाहर रखा जाना चाहिए।
* प्रोन्नति में कोई आरक्षण नहीं, आरक्षण की व्यवस्था केवल शुरुआती नियुक्ति के समय होनी चाहिए।
* केवल कुछ असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर। कुल आरक्षित कोटा 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए।
* आगे ले जाने का नियम (कैरी फॉरवार्ड) रिक्त पदों (Back logs) के लिए वैध रहेगा। इसमें भी 50% के सिद्धांत का उल्लंघन न हो।

iv) अस्पृश्यता का अन्त (अनु. -17) :-

अस्पृश्यता को समाप्त करने की व्यवस्था और किसी भी रूप में इसका आचरण निषिद्ध करता है। अस्पृश्यता शब्द को न तो संविधान में और नहीं अधिनियम में परिभाषित किया गया है।

- जन अधिकार सुरक्षा अधिनियम, 1955 के अंतर्गत छुआछूत को दण्डनीय अपराध घोषित किया गया है। इसके तहत 6 माह कारावास व 500 रु जुर्माना अथवा दोनों शामिल हैं। अधिनियम के अनुसार अपराध :-

a) किसी व्यक्ति को सार्वजनिक पूजा स्थल में प्रवेश से रोकना या कहीं पर पूजा से रोकना
b) परंपरागत, धार्मिक, दार्शनिक या अन्य आधार पर छुआछूत को न्यायोचित ठहराना।
c) किसी दुकान, होटल या सार्वजनिक मनोरंजन स्थल में प्रवेश से इंकार करना।
d) अस्पृश्यता के आधार पर अनु. जाति के किसी व्यक्ति की बेइज्जती करना।
e) अस्पतालों, शैक्षणिक संस्थाओं या हॉस्टल में सार्वजनिक हित के लिए प्रवेश रोकना
f) प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अस्पृश्यता को मानना।
g) किसी व्यक्ति को सामान ~~बिक्र.~~ बिक्री या सेवाएं देने से रोकना।

Scanned by CamScanner

v) उपाधियों का अंत (अनु०-18):-

=> प्रावधान:-

- राज्य, सेना या विद्या संबंधी सम्मान के सिवाए और कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा।
- भारत का कोई नागरिक विदेशी राज्य से कोई उपाधि प्राप्त नहीं करेगा।
- कोई विदेशी, राज्य के अधीन लाभ या विश्वास के लिए पद को धारण करते हुए किसी विदेशी राज्य से कोई भी उपाधि राष्ट्रपति की सहमति के बिना स्वीकार नहीं करेगा।
- राज्य के अधीन लाभ या विश्वास का पद धारण करने वाला कोई व्यक्ति किसी विदेशी राज्य से उसके अधीन किसी रूप में भेंट, उपलब्धि या पद राष्ट्रपति की सहमति के बिना स्वीकार नहीं करेगा।

Raj Holkar

2. स्वतंत्रता का अधिकार:-

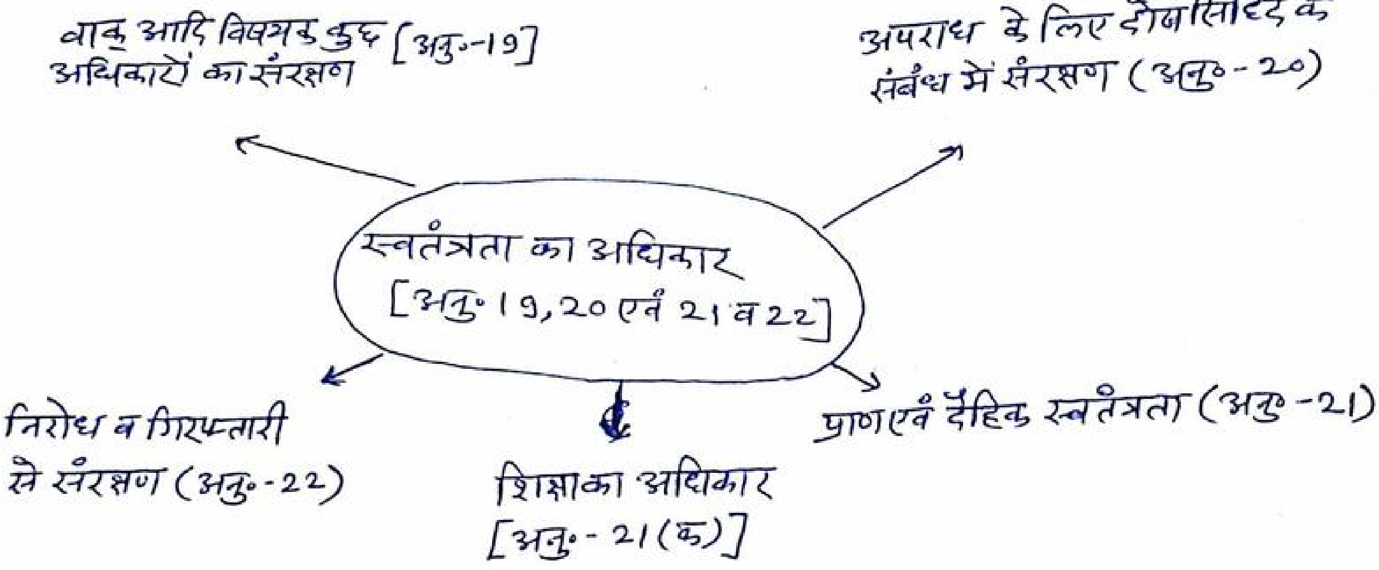

i) वाक् आदि विषयक अधिकारों का संरक्षण (अनु०-19):- अनु०-19 नागरिकों को 6 अधिकारों की गारण्टी देता है -

a) वाक् तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता
b) शांतिपूर्वक व बिना हथियार के सम्मेलन की स्वतंत्रता
c) संगम या संघ बनाने का अधिकार
d) भारत के राजक्षेत्र में सर्वत्र निर्बाध विचरण का अधिकार
e) भारत के किसी भाग में निवास करने या बसने का अधिकार
f) कोई, वृत्ति, उपजीविका, व्यापार या कारोबार की स्वतंत्रता।

Scanned by CamScanner

* मूलत: अनु०-19 में 7 मूल अधिकार थे परन्तु, संपत्ति को खरीदने, अधिग्रहण करने या बेच देने के अधिकार को 1978 में 44वें संशोधन द्वारा समाप्त कर दिया गया है।
* ये अधिकार केवल भारतीय नागरिकों व कंपनी के शेयरधारकों के लिए हैं न कि विदेशी या कानूनी लोगों जैसे कंपनियों या परिषदों के लिए।
* ये अधिकार मौलिक स्वतंत्रताएँ (Absolute) नहीं हैं। राज्य इन पर उचित आधारों के कारण युक्तियुक्त निर्बंधन लगा सकता है।

a. वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता :- यह प्रत्येक भारतीय नागरिक को अभिव्यक्ति दर्शाने मत देने, विश्वास एवं अभियोग लगाने की मौखिक, लिखित, छिपे हुए मामलों पर स्वतंत्रता देता है।

⇒ वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में सम्मिलित स्वतंत्रताएँ :-
- अपने या किसी अन्य के विचारों को प्रसारित करने की स्वतंत्रता
- प्रेस की स्वतंत्रता
- व्यावसायिक विज्ञापन की स्वतंत्रता
- फोन टैपिंग के विरुद्ध अधिकार
- राजनैतिक दल या संगठन द्वारा आयोजित बंद के खिलाफ अधिकार
- सरकारी गतिविधियों की जानकारी का अधिकार
- शांति का अधिकार
- अखबार पर पूर्व प्रतिबंध के विरुद्ध अधिकार
- प्रदर्शन एवं विरोध का अधिकार [हड़ताल का अधिकार नहीं]

⇒ प्रतिबंध लगाने के आधार:- भारत की एकता एवं संप्रभुता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों से मित्रवत संबंध, सार्वजनिक आदेश, नैतिकता की स्थापना, न्यायालय की अवमानना, किसी अपराध में संलिप्तता, विदेशी आक्रमण आदि।

b. शांतिपूर्वक सम्मेलन की स्वतंत्रता:- इस स्वतंत्रता का उपयोग केवल सार्वजनिक भूमि पर बिना हथियार के किया जा सकता है। इस अधिकार में हड़ताल का अधिकार नहीं है। यह व्यवस्था हिंसा, अव्यवस्था, गलत संगठन एवं सार्वजनिक शांति भंग के लिए नहीं है।

⇒ प्रतिबंध के आधार:- भारत की एकता एवं अखण्डता तथा सार्वजनिक आदेश सहित संबंधित क्षेत्र में यातायात नियंत्रण।

* धारा 144 के तहत एक न्यायाधीश किसी संगठित बैठक को किसी व्यवधान के खतरे के तहत रोक सकता है इसका आधार मानव जीवन के लिए खतरा, स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, सार्वजनिक जीवन में व्यवधान या दंगा भड़काने का खतरा भी है।

c. संगम या संघ बनाने का अधिकार :- सभी नागरिकों को सभा, संघ अथवा सहकारी समितियां गठित करने का अधिकार होगा। इसमें शामिल है - राजनीतिक दल, बनाने का अधिकार, कंपनी, साझा फर्म, समितियाँ, क्लब, संगठन, व्यापार संगठन या लोगों की अन्य इकाई बनाने का अधिकार। इसमें इन्हें नियमित रूप से संचालित करने का अधिकार प्रदान करता है।

प्रतिबंध के आधार :- भारत की एकता एवं संप्रभुता, सार्वजनिक आदेश व नैतिकता।

नोट :- उच्चतम न्यायालय श्रम संगठनों को मोलभाव करने, हड़ताल करने एवं तालाबंदी करने का कोई अधिकार नहीं है।

d. अबाध संचरण की स्वतंत्रता :- यह स्वतंत्रता प्रत्येक नागरिक को देश के किसी भी हिस्से में संचरण का अधिकार प्रदान करती है। यह अधिकार इस बात को बल देता है कि भारत सभी नागरिकों के लिए एक है।

प्रतिबंध के आधार :- आम लोगों का हित और किसी अनुसूचित जनजाति की सुरक्षा या हित। जनजातीय क्षेत्रों में बाहर के लोगों के प्रवेश को प्रतिबंधित किया जा सकता है।

नोट :- किसी वेश्या के संचरण के अधिकार को सार्वजनिक नैतिकता एवं सार्वजनिक स्वास्थ्य के आधार पर प्रतिबंधित किया जा सकता है। एड्स पीड़ित व्यक्ति के संचरण पर प्रतिबंधित किया जा सकता है।

e. निवास का अधिकार :- हर नागरिक को देश के किसी भी हिस्से में बसने का अधिकार है। इसके दो भाग हैं -

i) देश के किसी भी हिस्से में अस्थायी रूप से रहने का अधिकार।
ii) देश के किसी भी हिस्से में घर बनाना व स्थायी रूप से बसने का अधिकार।

• यह अधिकार राष्ट्रवाद को प्रोत्साहित करता है।

प्रतिबंध के आधार :- विशेष रूप से आम लोगों के हित में, अनुसूचित जनजातियों के हित में। वेश्या और पेशेवर अपराधी के घूमने पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है।

f. व्यवसाय आदि की स्वतंत्रता :- सभी नागरिकों को किसी भी व्यवसाय को करने, पेशा अपनाने एवं व्यापार शुरू करने का अधिकार दिया गया है।

⇒ प्रतिबंध :-

i) किसी पेशे या व्यवसाय के लिए पेशेगत या तकनीकी योग्यता को जरूरी ठहरा सकता है।
ii) किसी व्यापार, व्यवसाय, उद्योग या सेवा को पूर्ण या आंशिक रूप से स्वयं जारी रख सकता है।
iii) सार्वजनिक हित में प्रतिबंध जैसे - स्मगलिंग, महिला एवं बच्चों की खरीदफरोख्त

Scanned by CamScanner

ii) अपराध के लिए दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण :-

अनु.-20 किसी भी अभियुक्त या दोषी करार व्यक्ति, चाहे वह नागरिक हो या विदेशी या कंपनी व परिषद का कानूनी व्यक्ति हो उसके विरुद्ध मनमाने और अतिरिक्त दण्ड से संरक्षण प्रदान करता है। इसकी 3 व्यवस्थाएँ हैं -

a. कोई पूर्व पद प्रभाव कानून (Post-Law) नहीं :-

- कोई व्यक्ति अपराध के लिए तब तक सिद्ध दोष नहीं ठहराया जाएगा, जब तक कि उसने ऐसा कोई कार्य करने के समय, जो अपराध के रूप में आरोपित है, किसी प्रवृत्त विधि का अतिक्रमण नहीं किया है।
- उससे अधिक शक्ति का भागी नहीं होगा, जो उस अपराध के लिए जाने के समय प्रवृत्त विधि के अधीन अधिरोपित की जा सकती थी।

b. दोहरी क्षति नहीं :-

किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित और दंडित नहीं किया जाएगा।

c. स्व-अभिशसन नहीं :-

किसी अपराध के लिए अभियुक्त किसी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा।

iii) प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता :-

अनु. 21 में घोषणा की गई है कि किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा अन्यथा नहीं। राज्य प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार को कानूनी आधार पर रोक सकता है।

⇒ अनुच्छेद-21 में शामिल अन्य अधिकार :-

- मानवीय प्रतिष्ठा के साथ जीने का अधिकार • निशुल्क कानूनी सहायता का अधिकार
- स्वच्छ पर्यावरण-प्रदूषण रहित जल एवं वायु में जीने का अधिकार।
- जीवन रक्षा का अधिकार • त्वरित सुनवाई का अधिकार
- निजता का अधिकार • हथकड़ी लगाने के विरुद्ध अधिकार
- आश्रय का अधिकार • अमानवीय व्यवहार के विरुद्ध अधिकार
- स्वास्थ्य का अधिकार • देर से फाँसी के विरुद्ध अधिकार
- 14 वर्ष की उम्र तक निःशुल्क शिक्षा का अधिकार • विदेश यात्रा का अधिकार
- हिरासत में शोषण के विरुद्ध अधिकार • निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार
- सरकारी अस्पताल में समय पर उचित इलाज का अधिकार।
- कैदी के लिए जीवन की आवश्यकताओं का अधिकार। • सूचना का अधिकार
- महिलाओं के साथ आदर और सम्मानपूर्वक व्यवहार करने का अधिकार
- सार्वजनिक फांसी के विरुद्ध अधिकार • सुनवाई का अधिकार।

iv) शिक्षा का अधिकार :-

अनु.-21(क) में घोषणा की गई है कि राज्य 6 से 14 वर्ष तक की उम्र के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएगा। इसका निर्धारण राज्य करेगा।

* यह व्यवस्था केवल आवश्यक शिक्षा के एक मूल अधिकार के अंतर्गत है न कि उच्च या व्यावसायिक शिक्षा के संदर्भ में।
* यह व्यवस्था 86 वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत की गयी है।
* संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 45 में बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था थी।
* मूल कर्तव्यों में अनुच्छेद 51 क के तहत जोड़ा गया - 'प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह 6 से 14 वर्ष तक के अपने बच्चे को शिक्षा प्रदान कराएगा।'

v) निरोध एवं गिरफ्तारी से संरक्षण :-

अनु.-22 किसी व्यक्ति को गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण प्रदान करता है। निवारक हिरासत वह है, जिसमें बिना सुनवाई के अदालत में दोषी ठहराया जाए। इसका उद्देश्य किसी व्यक्ति को पिछले अपराध पर दण्डित न कर भविष्य में ऐसे अपराध न करने की चेतावनी देने जैसा है। निवारक हिरासत केवल शक के आधार पर एहतियाती होती है।

अनु.-22 के दो भाग हैं -

[साधारण कानून के तहत गिरफ्तार]

- गिरफ्तार करने के आधार पर सूचना देने का अधिकार।
- विधि व्यवसायी (वकील) से परामर्श और प्रतिरक्षा का अधिकार
- यात्रा के समय को मिलाकर 24 घण्टे में मजिस्ट्रेट के सामने पेशी का अधिकार
- दण्डाधिकारी द्वारा बिना अतिरिक्त निरोध किए 24 घण्टे में रिहाई का अधिकार
- यह विदेशी नागरिक न निवारक कानून के अंतर्गत गिरफ्तार व्यक्ति के लिए उपलब्ध नहीं है।
- आपराधिक क्रियाओं के लिए उपयोग।

[दण्ड विषयक कानून के अंतर्गत गिरफ्तार]

- व्यक्ति की हिरासत 3 माह से ज्यादा नहीं बढ़ायी जा सकती जब तक कि सलाहकार बोर्ड उचित कारण न बताए।
- निरोध का आधार संबंधित व्यक्ति को बताया जाना चाहिए। सार्वजनिक हितों के विरुद्ध आवश्यक नहीं है।
- निरोध वाले व्यक्ति को निरोध के विरुद्ध आवेदन करने का अधिकार है।
- यह नागरिक एवं विदेशी दोनों के लिए उपलब्ध है।

Scanned by CamScanner

3. शोषण के विरुद्ध अधिकार :-

शोषण के विरुद्ध अधिकार

→ मानव दुर्व्यापार एवं बलात् श्रम का निषेध [अनु.-23]

→ कारखानों आदि में बच्चों के नियोजन का निषेध [अनु०-24]

Raj Holkar

i) मानव दुर्व्यापार एवं बलात् श्रम का निषेध :-

अनु० 23 मानव दुर्व्यापार, बेगार और अन्य बलात् श्रम के प्रकारों पर प्रतिबंध लगाता है। यह अधिकार नागरिक एवं गैर नागरिक दोनों के लिए उपलब्ध है।

अनु० 23 में शामिल

मानव दुर्व्यापार
- पुरुष, महिला एवं बच्चों की खरीद व बिक्री।
- महिलाओं एवं बच्चों का अनैतिक दुर्व्यापार, इसमें वेश्यावृत्ति भी शामिल है।
- देवदासी
- दास आदि।

बेगार
- बिना तनख्वाह दिए काम करवाना
- बंधुआ मजदूरी

बलात् श्रम
- शारीरिक अथवा कानूनी बल का प्रयोग कर काम करवाना
- आर्थिक परिस्थितियों से उत्पन्न बाध्यता
- न्यूनतम मजदूरी पर काम करवाना आदि।

⇒ अपवाद :- अनु०-23 राज्य को अनुमति प्रदान करता है कि सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए अनिवार्य सेवा (सैन्य सेवा एवं सामाजिक सेवा) आरोपित कर सकता है, जिनके लिए राज्य धन देने के लिए बाध्य नहीं है।

ii) कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का निषेध :-

* अनु०-24, किसी फैक्ट्री, खान अथवा अन्य संकटमय गतिविधियों यथा निर्माण कार्य अथवा रेल्वे में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के नियोजन पर प्रतिषेध करता है लेकिन यह प्रतिषेध नुकसान न पहुंचाने वाले कार्यों पर नहीं है।
* 2006 में सरकार ने बच्चों को व्यवसायिक प्रतिष्ठानों जैसे - होटल, रेस्तरां, दुकान, कारखाने, रिसॉर्ट, स्पा, चाय की दुकान आदि में नियोजन पर रोक लगा दी है।

Scanned by CamScanner

4. धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार :-

धर्म की स्वतंत्रता [अनु॰- 25 से 28]

- अन्त:करण की और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार की स्वतंत्रता [अनु॰ 25]
- धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता [अनु॰- 26]
- धार्मिक शिक्षा में उपस्थित होने की स्वतंत्रता [अनु॰-28]
- धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय से स्वतंत्रता [अनु॰- 27]

i) अन्त: करण की और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता :-

* अनु॰ 25 के अनुसार, सभी व्यक्तियों को अंत:करण की स्वतंत्रता का और धर्म के अबाध रूप से मानने का, आचरण करने और प्रचार करने का समान हक होगा।
* यह अधिकार भारतीय नागरिक एवं विदेशी सबके लिए उपलब्ध है।
* यह केवल धार्मिक विश्वास को ही नहीं, बल्कि धार्मिक आचरणों को भी समाहित करता है।
* कृपाण धारण करना और लेकर चलना सिख धर्म के मानने का अंग समझा जाएगा।
* अनु॰ 25 में हिन्दुओं में सिख, जैन और बौद्ध सम्मिलित हैं।

=> प्रभाव :-

a) अंत: करण की स्वतंत्रता: किसी भी व्यक्ति को भगवान के साथ अपने ढंग से अपने संबंध को बनाने की आंतरिक स्वतंत्रता।

b) मानने का अधिकार: अपने धार्मिक विश्वास और आस्था की सार्वजनिक और बिना भय के घोषणा करने का अधिकार।

c) आचरण का अधिकार : धार्मिक पूजा, परंपरा, समारोह करने और अपनी आस्था और विचारों के प्रदर्शन की स्वतंत्रता।

d) प्रसार का अधिकार :- अपनी धार्मिक आस्थाओं का अन्य को प्रचार और प्रसार करना या अपने धर्म के सिद्धांतों को प्रकट करना। परन्तु इसमें किसी व्यक्ति को अपने धर्म में धर्मांतरित करने का अधिकार नहीं है।

=> प्रतिबंध के आधार :- सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता व स्वास्थ्य।

Scanned by CamScanner

ii) धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता :-

अनु॰ 26 के अंतर्गत प्राप्त अधिकार :-

- धार्मिक प्रयोजनों के लिए संस्थाओं की स्थापना और पोषण का अधिकार।
- अपने धर्म विषयक कार्यों का प्रबंध करने का अधिकार।
- जंगम और स्थावर संपत्ति के अर्जन और स्वामित्व का अधिकार।
- ऐसी संपत्ति का विधि के अनुसार प्रशासन करने का अधिकार।

iii) धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय की स्वतंत्रता :-

* अनु॰ 27 किसी भी व्यक्ति को किसी विशिष्ट धर्म या धार्मिक संप्रदाय की अभिवृद्धि या पोषण में व्यय करने के लिए करों के संदाय हेतु बाध्य नहीं किया जाएगा या राज्य कर के रूप में एकत्रित धन को किसी विशिष्ट धार्मिक उत्थान एवं रख-रखाव के लिए व्यय नहीं कर सकता है।
* यह व्यवस्था केवल कर की उगाही पर रोक लगाती है, न कि शुल्क पर। ऐसा इसलिए क्योंकि शुल्क लगाने का उद्देश्य धार्मिक संस्थाओं पर धर्मनिरपेक्ष प्रशासन के पक्ष में नियंत्रण लगाना है। इसलिए तीर्थयात्रियों पर शुल्क लगाया जा सकता है जिससे उन्हें सुविधाएं व सुरक्षा मुहैया करा सकें।

iv) धार्मिक शिक्षा में उपस्थित होने की स्वतंत्रता :-

* अनु॰ 28 के अंतर्गत राज्य निधि से पूर्णतः पोषित किसी शिक्षा संस्था में ~~स्थापित~~ कोई धार्मिक शिक्षा न दी जाए [राज्य द्वारा प्रशासित किन्तु किसी न्यास (Trust) द्वारा स्थापित संस्थाओं को छोड़कर।]
* राज्य निधि से सहायता पाने वाले शिक्षा संस्था में उपस्थित होने वाले किसी व्यक्ति को धार्मिक उपासना या धार्मिक शिक्षा में भाग लेने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा।
* अनु॰ 28 में 4 प्रकार की शैक्षणिक संस्थान हैं -

1. ऐसे संस्थान जिनका पूरा रख-रखाव राज्य करता है। → धार्मिक शिक्षा पूरी तरह प्रतिबंधित
2. प्रशासन राज्य द्वारा किन्तु जिनकी स्थापना न्यास द्वारा हुई हो → धार्मिक शिक्षा की अनुमति
3. राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान
4. राज्य द्वारा वित्त सहायता प्राप्त संस्थान

(3 और 4) → स्वैच्छिक आधार पर धार्मिक शिक्षा की अनुमति।

Scanned by CamScanner

5. संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार :-

संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार
→ अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण (अनु०-29)
→ शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार [अनु०-30]

i) अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण :-

* अनु०-29 यह उपबंध करता है कि भारत के किसी भी भाग में रहने वाले नागरिकों के किसी भी अनुभाग (अल्पसंख्यक + बहुसंख्यक) को जिसकी अपनी बोली, भाषा, लिपि, संस्कृति को सुरक्षित रखने का अधिकार है।
* किसी भी नागरिक को राज्य के अंतर्गत आने वाले संस्थान या उससे सहायता प्राप्त संस्थान में धर्म, जाति या भाषा के आधार पर प्रवेश से रोका नहीं जाएगा।
* अनु०-29, धार्मिक अल्पसंख्यकों एवं भाषायी अल्पसंख्यकों को सुरक्षा प्रदान करता है। परन्तु न्यायालय ने व्यवस्था दी है कि 'नागरिकों के अनुभाग' शब्द का अभिप्राय अल्पसंख्यक एवं बहुसंख्यक दोनों से है।
* भाषा की रक्षा में आन्दोलन करना या राजनीतिक भाषण देना जन-प्रतिनिधि अधिनियम -1951 का उल्लंघन नहीं है।

ii) शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अल्पसंख्यक वर्गों को अधिकार

अनु०-30 धार्मिक एवं भाषायी अल्पसंख्यकों को निम्न अधिकार देता है -

- सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अधिकार होगा।
- राज्य द्वारा अल्पसंख्यक वर्ग शिक्षा संस्था की किसी संपत्ति के अनिवार्य अर्जन के लिए निर्धारित क्षतिपूर्ति रकम से उनके लिए प्रत्याभूत अधिकार निलंबित या निराकृत नहीं होंगे।
- राज्य आर्थिक सहायता में अल्पसंख्यकों द्वारा प्रबंधित संस्थानों में विभेद नहीं करेगा।

* अल्पसंख्यक शब्द को संविधान में परिभाषित नहीं किया गया है।

Scanned by CamScanner

https://t.me/UPSC_Prelims https://t.me/UPSC_Mains

* अनु॰-30, अल्पसंख्यकों को अपने बच्चों को अपनी भाषा में शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है।

अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थाएँ

- राज्य से आर्थिक सहायता एवं मान्यता प्राप्त
- राज्य से मान्यता प्राप्त किन्तु राज्य से सहायता प्राप्त नहीं।
- राज्य से न तो मान्यता और न ही सहायता प्राप्त करते।

(पहली दो) → राज्य के अनुसार शिक्षण, स्टाफ, पाठ्यक्रम, शैक्षणिक मानक, अनुशासन, सफाई व्यवस्था होगी।

(तीसरी) → प्रशासनिक मामलों में स्वतंत्रता परन्तु सामान्य कानून जैसे- ठेका कानून, श्रम कानून, औद्योगिक कानून, कर कानून, आर्थिक विनियम आदि लागू होंगे।

6. संवैधानिक उपचारों का अधिकार :-

* अनु॰-32 संवैधानिक उपचार का अधिकार प्रदान करता है। मूल अधिकारों के संरक्षण का अधिकार स्वयं में ही मूल अधिकार है। डॉ॰ भीमराव अम्बेडकर ने अनु॰-32 को संविधान की आत्मा और हृदय बताया है।
* अनु॰-32 संविधान की मूल संरचना से संबंध रखता है अतः इसमें संविधान संशोधन द्वारा बदलाव नहीं किया जा सकता।

इसमें 4 प्रावधान हैं-

i) मूल अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए समुचित कार्यवाहियों द्वारा ~~उच्चतम~~ उच्चतम न्यायालय में समावेदन का अधिकार प्रत्याभूत है।

ii) उच्चतम न्यायालय को किसी भी मूल अधिकार के संबंध में निर्देश जारी (रिट जारी) करने का अधिकार होगा।

iii) संसद को यह शक्ति प्राप्त है कि वह किसी अन्य न्यायालय को सभी प्रकार के निर्देश, आदेश और रिट जारी करने की शक्ति प्रदान करे। यहाँ अन्य न्यायालय में उच्चतम न्यायालय व उच्च न्यायालय शामिल नहीं है।

iv) राष्ट्रपति, राष्ट्रीय आपातकाल (अनु॰-359 के तहत) के समय इनको स्थगित कर सकता है।

* उच्चतम न्यायालय नागरिकों के मूल अधिकारों का संरक्षक एवं गारन्टी देने वाला है।

https://t.me/UPSC_Prelims https://t.me/UPSC_Mains
Scanned by CamScanner

* संविधान द्वारा अनु०-32 के अंतर्गत केवल मूल अधिकारों की ही गारन्टी दी गई है, अन्य अधिकारों की नहीं जैसे- लौकिक अधिकार, गैर मूल संवैधानिक अधिकार एवं अन्य असंवैधानिक अधिकार।
* मूल अधिकारों के क्रियान्वयन के बारे में उच्चतम न्यायालय का न्याय क्षेत्र मूल तो है पर अनन्य नहीं। इसका जुड़ाव अनु०-226 के तहत उच्च न्यायालय के न्यायिक क्षेत्र से है।
* जब किसी व्यक्ति के मूल अधिकारों का हनन होता है तो संबंधित पक्ष के पास या तो उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय में सीधे जाने का विकल्प होता है।

⇒ उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के रिट संबंधी न्यायिक क्षेत्र में भिन्नताएँ :-

उच्चतम न्यायालय	उच्च न्यायालय
• केवल मूल अधिकारों के क्रियान्वयन को लेकर रिट जारी कर सकता है।	- मूल अधिकारों के साथ अन्य अधिकारों जैसे कानूनी अधिकारों के संबंध में भी रिट जारी कर सकता है। इस प्रकार उच्च न्यायालय के रिट संबंधी न्यायिक अधिकार ~~उच्चतम~~ उच्चतम न्यायालय से अधिक विस्तृत हैं।
- किसी एक व्यक्ति या सरकार के विरुद्ध रिट जारी कर सकता है। इस प्रकार ~~उच्चतम~~ रिट जारी करने के संबंध में उच्चतम न्यायालय का क्षेत्रीय न्यायक्षेत्र ज्यादा विस्तृत है।	- सिर्फ संबंधित राज्य के व्यक्ति या अपने क्षेत्र के राज्य को या मामला दूसरे राज्य से संबंधित हो तो वहाँ के खिलाफ ही रिट जारी कर सकता है।
- उच्चतम न्यायालय अपने रिट न्यायक्षेत्र को नकार नहीं सकता	- उच्च न्यायालय के ये अधिकार विवेक-पर आधारित हैं। उच्च न्यायालय अपने रिट संबंधी न्यायक्षेत्र को नकार भी सकता है।

Scanned by CamScanner

=> अनु०-32 एवं 226 में वर्णित विभिन्न प्रकार की रिट :-

i) बंदी प्रत्यक्षीकरण :-

* यह उस व्यक्ति के सम्बन्ध में न्यायालय द्वारा जारी आदेश है, जिसे दूसरे व्यक्ति द्वारा हिरासत में रखा गया है, उसे न्यायालय के सामने पेश किया जाए। न्यायालय मामले की जाँच करता है, यदि हिरासत में लिए गए व्यक्ति का मामला अवैध है तो उसे स्वतंत्र किया जा सकता है। [यह व्यक्ति को जबरन हिरासत में रखने के विरुद्ध है]
* बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट सार्वजनिक प्राधिकरण हो या व्यक्तिगत दोनों के खिलाफ जारी किया जा सकता है।
* रिट जारी न करने की स्थिति :-
  - हिरासत कानून सम्मत है।
  - कार्यवाही किसी विधानमण्डल या न्यायालय की अवमानना के तहत हुई हो।
  - न्यायालय के द्वारा हिरासत
  - हिरासत न्यायालय के न्यायक्षेत्र से बाहर हुई हो।

ii) परमादेश :-

* यह एक नियंत्रण है जिसे न्यायालय द्वारा सार्वजनिक अधिकारियों को जारी किया जाता है ताकि उनके कार्यों और उसे नकारने के संबंध में पूछा जा सके।
* इसे किसी भी सार्वजनिक इकाई, निगम, अधीनस्थ न्यायालयों, प्राधिकरणों या सरकार के खिलाफ समान उद्देश्य के लिए जारी किया जा सकता है।
* रिट जारी न करने की स्थिति :-
  - निजी व्यक्तियों या इकाई के विरुद्ध
  - ऐसे विभाग जो गैर-संवैधानिक है।
  - जब कर्त्तव्य विवेकानुसार हो, जरूरी नहीं।
  - संविदात्मक दायित्व को लागू करने के विरुद्ध
  - भारत के राष्ट्रपति या राज्यपाल के विरुद्ध
  - उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो न्यायिक क्षमता में कार्यरत हैं।

iii) प्रतिषेध :-

* इसे उच्च न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों को या अधिकरणों को अपने न्यायक्षेत्र से उच्च न्यायिक कार्यों को करने से रोकने के लिए जारी किया जाता है।
* प्रतिषेध संबंधी रिट सिर्फ न्यायिक एवं अर्द्ध-न्यायिक प्राधिकरणों के विरुद्ध ही जारी किया जा सकता है। यह प्रशासनिक प्राधिकरणों, विधायी निकायों एवं निजी व्यक्ति या निकायों के लिए उपलब्ध नहीं है।

Scanned by CamScanner

iv) उत्प्रेषण :-

* इसे एक उच्च न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों को या अधिकरणों को या लंबित मामलों के स्थानान्तरण को सीधे या पत्र जारी कर किया जाता है। इसे अतिरिक्त न्यायिक क्षेत्र या न्यायिक क्षेत्र की कमी या कानून में खराबी के आधार पर जारी किया जा सकता है।
* उत्प्रेषण रिट न्यायिक या अर्द्ध-न्यायिक प्राधिकरणों, और व्यक्तियों के अधिकारों को प्रभावित करने वाले प्रशासनिक प्राधिकरणों के खिलाफ भी जारी किया जा सकता है।
* उत्प्रेषण, विधिक निकायों एवं निजी व्यक्तियों या इकाइयों के विरुद्ध उपलब्ध नहीं है।

v) अधिकार पृच्छा :-

* इसे न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति द्वारा सार्वजनिक कार्यालय में दायर अपने दावे की जाँच के लिए जारी किया जाता है।
* यह किसी व्यक्ति द्वारा लोक कार्यालय के अवैध अनाधिकार ग्रहण करने को रोकता है।
* इसे किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा जारी किया जा सकता है न कि पीड़ित व्यक्ति द्वारा।
* इसे मंत्रित्व कार्यालय या निजी कार्यालय के लिए जारी नहीं किया जा सकता।

⇒ मार्शल लॉ (सैन्य कानून) और राष्ट्रीय आपातकाल में अन्तर :-

मार्शल लॉ	राष्ट्रीय आपातकाल
- यह सिर्फ मूल अधिकारों को प्रभावित करता है।	- यह न केवल मूल अधिकारों बल्कि केन्द्र-राज्य संबंधों को भी प्रभावित करता है।
- यह सरकार एवं कानूनी न्यायालयों को निलंबित करता है।	- यह सरकार एवं सामान्य कानूनी न्याय को जारी रखता है।
- यह कानून एवं व्यवस्था के भंग होने पर उसे दोबारा निर्धारित करता है।	- यह सिर्फ 3 आधारों पर ही लागू हो सकता है - युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह
- इसे देश के कुछ विशेष क्षेत्रों में ही लागू किया जा सकता है।	- इसे पूरे देश या देश के किसी हिस्से में लागू किया जा सकता है।
- इसके लिए संविधान में कोई विशेष व्यवस्था नहीं है। यह अव्यक्त है।	- संविधान में इसकी विशेष व्यवस्था है, यह सुस्पष्ट एवं विस्तृत है।

Scanned by CamScanner

⇒ मार्शल लॉ (सैन्य कानून) और मूल अधिकार :-

* अनु॰ 34 मूल अधिकारों पर तब प्रतिबंध लगाता है जब भारत में कहीं भी मार्शल लॉ लागू हो। यह संसद को इस बात की शक्ति देता है कि किसी भी सरकारी कर्मचारी को या अन्य व्यक्ति को उसके द्वारा किए जाने वाले कार्य की व्यवस्था को बरकरार रखे या पुनर्निर्मित करे। संसद किसी मार्शल लॉ वाले क्षेत्र में जारी दण्ड या अन्य आदेश को वैधता प्रदान करता है।
* मार्शल लॉ की संविधान में व्याख्या नहीं की गई। यह ऐसी स्थिति का परिचायक है जहाँ सेना द्वारा सामान्य प्रशासन को अपने नियम कानूनों के तहत संचालित किया जाता है।
* मार्शल लॉ घोषित होने पर संविधान में कोई विशेष प्राधिकरण की व्यवस्था नहीं है, इसे अनु॰ 34 के अंतर्गत भारत में कहीं भी लागू किया जा सकता है। मार्शल लॉ को असाधारण परिस्थितियों जैसे - युद्ध, अशांति, दंगे या कानून का उल्लंघन आदि में लागू किया जाता है।
* मार्शल लॉ के क्रियान्वयन के समय सैन्य प्रशासन के पास जरूरी कदम उठाने के लिए असाधारण अधिकार मिल जाते हैं। यहाँ तक कि किसी मामले में नागरिकों को मृत्युदण्ड तक लागू कर सकता है।
* उच्चतम न्यायालय ने घोषणा की है कि मार्शल लॉ प्रतिक्रियावादी परिणाम के तहत बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट को निलंबित नहीं कर सकता।

⇒ केवल नागरिकों (भारतीय) को प्राप्त मौलिक अधिकार :-

* अनु॰ 15 धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध
* अनु॰ 16 लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता
* अनु॰ 19 वाक् स्वतंत्रता आदि विषयक कुछ अधिकारों का संरक्षण
* अनु॰ 30 शिक्षा - संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार + अनु॰ 29 अल्पसंख्यकों को शिक्षा व संस्कृति

⇒ शत्रु देश के नागरिकों के अतिरिक्त भारत भूमि पर विद्यमान किसी भी व्यक्ति को उपलब्ध मौलिक अधिकार :-

* अनु॰-14 विधि के समक्ष समता व विधि का समान संरक्षण
* अनु॰ 20 अपराधों के लिए दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण
* अनु॰ 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण + अनु॰-22 नजरबंदी से संरक्षण
* अनु॰ 23 मानव के दुर्व्यापार एवं बलात् श्रम का प्रतिषेध एवं अनु॰-24
* अनु॰ 25 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार
* अनु॰ 27 किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय में स्वतंत्रता।
* अनु॰-28

Scanned by CamScanner

https://t.me/UPSC_Prelims https://t.me/UPSC_Mains

राज्य के नीति निदेशक तत्व

* संविधान के भाग-4 के अनु० 36 से 51 तक राज्य के नीति निदेशक तत्वों का उल्लेख है। इन्हें आयरलैण्ड के संविधान से लिया गया है।
* ग्रेनविल ऑस्टिन ने निदेशक तत्व और मूल अधिकारों को "संविधान की मूल आत्मा" कहा है।

⇒ निदेशक तत्वों की विशेषताएँ :-

i) नीतियों एवं कानूनों को प्रभावी बनाते समय राज्य इन तत्वों को ध्यान में रखेगा। ये संवैधानिक निदेश या विधायिका, कार्यपालिका और प्रशासनिक मामलों में राज्य के लिए सिफारिशें हैं।

ii) निदेशक तत्वों का उद्देश्य 'लोक कल्याणकारी राज्य' का निर्माण है। आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करना ही इन निदेशक तत्वों का मूल उद्देश्य है।

iii) ये प्रकृति में गैर-न्यायोचित हैं अर्थात् इनके हनन पर इन्हें न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता।

iv) निदेशक तत्वों में समाजवाद, गाँधीवाद, पाश्चात्य उदारवाद तथा भारतीय स्वतंत्रता आन्दोलन के आदर्शों का अद्भुत समन्वय है।

⇒ मूल अधिकार एवं नीति निदेशक तत्वों में अन्तर :-

मूल अधिकार	निदेशक तत्व
- ये नकारात्मक हैं। राज्य को कुछ मसलों पर कार्य करने से प्रतिबंधित करते हैं।	- ये सकारात्मक हैं।
- ये न्यायोचित हैं।	- ये गैर-न्यायोचित हैं।
- इनका उद्देश्य देश में लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था स्थापित करना है।	- इनका उद्देश्य देश में सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना है।
- ये कानूनी रूप से मान्य हैं।	- इन्हें नैतिक व राजनीतिक मान्यता प्राप्त है।
- ये व्यक्तिगत कल्याण को प्रोत्साहित करते हैं अतः वैयक्तिक प्रकृति के हैं।	- ये समुदाय के कल्याण को प्रोत्साहित करते हैं अतः समाजवादी प्रकृति के हैं।
- ये स्वतः लागू हैं, इन्हें लागू करने के लिए किसी विधान की आवश्यकता नहीं।	- इन्हें लागू करने के लिए विधान की आवश्यकता होती है।
- इन्हें न्यायालय से गारन्टी प्राप्त है व न्यायालय इनका संरक्षक है।	- निदेशक तत्वों ~~की~~ ~~कि~~ के उल्लंघन करने वाली किसी भी विधि को न्यायालय गैर-संवैधानिक अथवा अमान्य घोषित नहीं कर सकता।

https://t.me/UPSC_Prelims https://t.me/UPSC_Mains Scanned by CamScanner

https://t.me/UPSC_Prelims https://t.me/UPSC_Mains

निदेशक तत्वों का वर्गीकरण

समाजवादी सिद्धांत

- ये लोकतांत्रिक समाजवादी राज्य का खाका खींचते हैं जिनका लक्ष्य सामाजिक एवं आर्थिक न्याय प्रदान कराना है। ये लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना का मार्ग प्रशस्त करते हैं।

⇒ सम्बद्ध निदेशक तत्व :-

- लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाना (अनु.-38(क))
- आय की असमानता दूर करना (अनु.-38(ख))
- भौतिक संसाधनों का नियंत्रण व वितरण सामूहिक हित में हो (अनु.- 38(ग))
- पुरुष व स्त्रियों को समान कार्य के लिए समान वेतन (अनु -38(घ))
- समान न्याय व निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध करवाना (अनु. -39)
- काम की न्याय संगत एवं मानवोचित दशाएँ व प्रसूति सहायता (अनु. -42)
- उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों का भाग लेना (अनु. -43(क))
- पोषाहार व उच्च जीवन स्तर (अनु.-47)

गांधीवादी सिद्धांत

- ये गांधीवादी विचारधारा पर आधारित हैं तथा ग्रामीण भारत को सशक्त बनाकर देश को समृद्धशाली एवं आर्थिक असमानता कम करने तथा विकेन्द्रित शासन व्यवस्था के पक्ष में हैं।

⇒ सम्बद्ध निदेशक तत्व :-

- ग्राम पंचायतों का गठन (अनु.-40)
- कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन (अनु. -43)
- अनु. जातियों, अनु. जनजातियों और अन्य दुर्बल वर्गों के शैक्षिक व आर्थिक हितों की अभिवृद्धि (अनु. -46)
- आधुनिक व वैज्ञानिक पद्धतियों से कृषि तथा पशुपालन तथा अन्य दुधारू व वाहक पशुओं के वध पर प्रतिबंध (अनु. - 48)
- स्वास्थ्य के लिए हानिकर मादक पेयों व औषधियों पर प्रतिबंध (अनु. - 47)

उदारवादी सिद्धांत

- ये बौद्धिक उदारवाद की विचारधारा से प्रभावित हैं तथा लैंगिक समानता, पर्यावरण, संस्कृति व अंतर्राष्ट्रीय शांति स्थापित के लिए पक्षकार हैं।

⇒ सम्बद्ध निदेशक तत्व :-

- नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता (अनु. -44)
- 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को 14 वर्ष की आयु पूरी करने तक अनिवार्य व निशुल्क शिक्षा (अनु. - 45)
- पर्यावरण का संरक्षण व संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा (अनु. - 48(A))
- राष्ट्रीय महत्व वाले ऐतिहासिक स्थलों व स्मारकों का संरक्षण (अनु. - 49)
- न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण (अनु. -50)
- अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा की अभिवृद्धि व राष्ट्रों के बीच न्यायपूर्ण व सम्मानपूर्ण संबंधों को बनाए रखना। अंतर्राष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थ द्वारा निपटाने के लिए प्रयास करना (अनु. -51)

https://t.me/UPSC_Prelims https://t.me/UPSC_Mains
Scanned by CamScanner

⇒ नीति निदेशक तत्वों की उपयोगिता :-

- ये सरकार को उन सामाजिक एवं आर्थिक मूल सिद्धांतों की याद दिलाते हैं जो संविधान के लक्ष्यों की प्राप्ति से जुड़े हैं।
- ये न्यायालयों के लिए उपयोगी मार्गदर्शक हैं। ये न्यायालयों को न्यायिक समीक्षा की शक्ति के प्रयोग में सहायता करते हैं।
- ये प्रस्तावना को विस्तृत रूप देते हैं, जिनसे भारत के नागरिकों को न्याय, स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व के प्रति बल मिलता है।
- ये राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक क्षेत्रों की घरेलू और विदेशी नीतियों में स्थायित्व और निरंतरता बनाए रखते हैं।
- ये मूल अधिकारों के पूरक हैं।
- ये विपक्ष द्वारा सरकार पर नियंत्रण को संभव बनाते हैं।

Join Whatsapp # 9650697922

Scanned by CamScanner

मूल कर्त्तव्य (Fundamental Duties)

(47)

* 1976 में स्वर्ण सिंह समिति ने मूल कर्त्तव्यों के बारे में अपनी संस्तुती प्रकट की एवं 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा सरकार ने संविधान में एक नए भाग IV (क) को जोड़ा गया एवं इस भाग में अनु. 51(क) में पहली बार मूल कर्त्तव्यों को जोड़ा गया।
* स्वर्ण सिंह समिति ने 8 मूल कर्त्तव्यों को जोड़ने का सुझाव दिया किन्तु 42वें संवि. संशो. में कुल 10 मूल कर्त्तव्यों को जोड़ा गया।
* 11वाँ मूल कर्त्तव्य, 86वें संवि. संशो. अधि., 2002 द्वारा जोड़ा गया। इस प्रकार वर्तमान में 11 मूल कर्त्तव्य हैं।

=> मूल कर्त्तव्य :-

i) संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें।

ii) स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आन्दोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें।

iii) भारत की संप्रभुता, एकता और अखण्डता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें।

iv) देश की रक्षा करें व आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें।

v) भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग आधारित सभी भेदभाव से परे हों, ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो।

vi) हमारी संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें व उसका परिरक्षण करें।

vii) प्राकृतिक पर्यावरण की जिसके अन्दर झील, वन, नदी और वन्यजीव हैं, रक्षा करें और उसका संवर्धन करें तथा प्राणिमात्र के प्रति दयाभाव रखें।

viii) वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना विकसित करें।

ix) सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें।

x) व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊँचाइयों को छू ले।

xi) 6 से 14 वर्ष की उम्र के बीच अपने बच्चों को शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराएँ। (यह 86वें संवि. संशो. अधि., 2002 द्वारा जोड़ा गया)

नोट :- मूल कर्त्तव्य केवल भारतीय नागरिकों के लिए हैं, मूल कर्त्तव्य गैर-न्यायोचित हैं यानि इनके हनन पर कोई न्यायिक कार्यवाही नहीं हो सकती। न्यायालय मूल कर्त्तव्यों को लागू करने की गारण्टी नहीं देता।

Scanned by CamScanner

संसदीय व्यवस्था (Parliamentary System)

लोकतांत्रिक सरकार के प्रकार

संसदीय व्यवस्था [भारत सरकार]

⇒ विशेषताएँ :-
- नामित एवं वास्तविक कार्यपालिका
- बहुमत प्राप्त दल का शासन
- सामूहिक उत्तरदायित्व
- राजनीतिक एकरूपता
- दोहरी सदस्यता
- प्रधानमंत्री का नेतृत्व
- निचले सदन का विघटन
- गोपनीयता

राष्ट्रपति शासन व्यवस्था [अमेरिकी सरकार]

⇒ विशेषताएँ :-
- राष्ट्रपति, राज्य व केन्द्र का मुखिया
- राष्ट्रपति का निर्वाचन 4 वर्ष के लिए एवं निश्चित कार्यकाल के लिए अर्थात केवल गैर-संवैधानिक कार्य करने के कारण हटाया जा सकता है।
- राष्ट्रपति सरकार का वास्तविक मुखिया
- राष्ट्रपति व उसके सदस्य अपने कृत्यों के लिए कांग्रेस के प्रति उत्तरदायी नहीं होते।
- राष्ट्रपति 'हाउस ऑफ रिप्रजेंटेटिव' कांग्रेस (कांग्रेस का निचला सदन) का विघटन नहीं कर सकता।

⇒ भारतीय संसदीय व्यवस्था की विशेषताएँ :-

i) नामित एवं वास्तविक कार्यपालिका :- राष्ट्रपति, देश का मुखिया मात्र है जबकि वास्तविक कार्यपालिका प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद है।

ii) बहुमत प्राप्त दल का शासन :- जिस दल को लोकसभा में बहुमत में सीटें प्राप्त होती हैं उस दल के नेता को राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री नियुक्त करता है।

iii) सामूहिक उत्तरदायित्व :- मंत्रियों का संसद के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व होता है विशेषकर लोकसभा के प्रति।

iv) राजनीतिक एकरूपता :- मंत्रिपरिषद के सदस्य एक ही राजनैतिक दल से संबंधित होते हैं इस तरह उनकी समान राजनैतिक विचारधारा होती है।

v) दोहरी सदस्यता :- मंत्री विधायिका एवं कार्यपालिका दोनों के सदस्य होते हैं

vi) प्रधानमंत्री का नेतृत्व :- प्रधानमंत्री, मंत्रीपरिषद, संसद एवं सत्तारूढ़ दल का नेतृत्व करता होता है।

vii) निचले सदन का विघटन :- प्रधानमंत्री की सिफारिश के बाद राष्ट्रपति लोकसभा को विघटित कर सकता है।

viii) गोपनीयता :- मंत्री अपने कार्यवाहियों एवं नीतियों व निर्णयों की सूचना नहीं दे सकते वे पद ग्रहण से पहले गोपनीयता की शपथ लेते हैं।

Scanned by CamScanner

https://t.me/UPSC_Prelims https://t.me/UPSC_Mains

⇒ संसदीय व्यवस्था के गुण व दोष :-

संसदीय व्यवस्था

गुण
- विधायिका एवं कार्यपालिका के मध्य सामंजस्य
- उत्तरदायी सरकार
- निरंकुशता का प्रतिषेध
- वैकल्पिक सरकार की व्यवस्था
- व्यापक प्रतिनिधित्व

दोष
- अस्थिर सरकार
- नीतियों की निश्चितता का अभाव
- मंत्रिमण्डल की निरंकुशता
- शक्ति पृथक्करण के विरुद्ध
- अकुशल व्यक्तियों द्वारा सरकार का संचालन।

⇒ संसदीय व्यवस्था के गुण :-

i) विधायिका एवं कार्यपालिका के मध्य सामंजस्य :- कार्यपालिका, विधायिका का एक अंग है और दोनों अपने कार्यों में स्वतंत्र हैं। परिणामस्वरूप इन दोनों अंगों के बीच विवाद के बहुत कम अवसर होते हैं।

ii) उत्तरदायी सरकार :- मंत्री अपने मूल एवं कार्याधिकारों कार्यों के लिए संसद के प्रति उत्तरदायी होते हैं। संसद प्रश्नकाल, चर्चा, स्थगन प्रस्ताव व अविश्वास प्रस्ताव आदि के माध्यम से मंत्रियों पर नियंत्रण रखती है।

iii) निरंकुशता का प्रतिषेध :- इस व्यवस्था में कार्यकारी शक्तियाँ मंत्रिपरिषद में (समूह) में निहित होती हैं न कि व्यक्ति में। परिणामस्वरूप यह व्यवस्था कार्यपालिका की निरंकुश प्रकृति पर रोक लगाती है।

iv) वैकल्पिक सरकार की व्यवस्था :- सत्तारूढ़ दल के बहुमत खो देने पर राज्य का मुखिया विपक्षी दल को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित कर सकता है। अर्थात् नए चुनाव के बिना वैकल्पिक सरकार का गठन हो सकता है।

v) व्यापक प्रतिनिधित्व :- संसदीय व्यवस्था में कार्यपालिका लोगों के समूह से गठित होती है इस प्रकार यह संभव है कि सरकार के सभी वर्गों एवं क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व हो।

https://t.me/UPSC_Prelims https://t.me/UPSC_Mains
Scanned by CamScanner

=> संसदीय व्यवस्था के दोष :-

i) अस्थिर सरकार :- संसदीय सरकार में स्थायी सरकार नहीं होती। एक अविश्वास प्रस्ताव या राजनीतिक दल परिवर्तन या बहुदलीय गठन सरकार को अस्थिर कर सकता है।

ii) नीतियों की निश्चितता का अभाव :- संसदीय व्यवस्था में दीर्घकालिक नीतियाँ लागू नहीं हो पाती क्योंकि सत्तारूढ़ दल में परिवर्तन से सरकार की नीतियाँ परिवर्तित हो जाती हैं।

iii) मंत्रिमण्डल की निरंकुशता :- जब सत्तारूढ़ पार्टी को संसद में पूर्ण बहुमत प्राप्त होता है तो विपक्ष कमजोर होता है एवं कैबिनेट निरंकुश हो जाती है।

iv) शक्ति पृथक्करण के विरुद्ध :- संसदीय व्यवस्था में विधायिका एवं कार्यपालिका एक साथ और अविभाज्य होते हैं। कैबिनेट कार्यपालिका एवं विधायिका दोनों की नेतृत्व करती है। इस तरह सरकार की पूरी व्यवस्था शक्तियों को विभाजित करने वाले सिद्धांत के खिलाफ जाती है।

v) अकुशल व्यक्तियों द्वारा सरकार का संचालन :- संसदीय व्यवस्था प्रशासनिक कुशलता से संचालित नहीं होती क्योंकि मंत्री अपने क्षेत्र में निपुण नहीं होते। मंत्रियों के चयन में प्रधानमंत्री के पास सीमित विकल्प होते हैं।

Join Whatsapp # 9650697922

Scanned by CamScanner

संघीय व्यवस्था (Federal System)

* राष्ट्रीय सरकार एवं क्षेत्रीय सरकार के संबंधों की प्रकृति के आधार पर सरकार को दो भागों में वर्गीकृत किया जाता है।

सरकार

संघीय विशेषताएँ

- द्वैध राजपद्धति
- लिखित संविधान
- शक्तियों का विभाजन
- संविधान की सर्वोच्चता
- कठोर संविधान
- स्वतंत्र न्यायपालिका
- द्विसदनीयता

एकात्मक विशेषताएँ

- सशक्त केन्द्र
- राज्य अनश्वर नहीं
- एकल संविधान
- एकल नागरिकता
- संविधान का लचीलापन
- राज्य प्रतिनिधित्व में समानता का अभाव
- आपातकालीन उपबन्ध
- एकीकृत न्यायपालिका
- अखिल भारतीय सेवाएँ
- राज्य सूची पर संसद का प्राधिकार
- एकीकृत लेखा जाँच मशीनरी
- राज्यपाल की नियुक्ति
- एकीकृत निर्वाचन मशीनरी
- राज्यों के विधेयकों पर वीटो

Raj Holkar

=> **सरकार की संघीय विशेषताएँ :-**

i) **द्वैध राजपद्धति :-** संविधान में केन्द्र स्तर पर एवं राज्य स्तर पर राज्य द्वैध राजपद्धति को अपनाया है। प्रत्येक को संविधान द्वारा अपने क्षेत्रों में संप्रभु शक्तियाँ प्रदान की हैं।

ii) **लिखित संविधान :-** हमारा संविधान न केवल लिखित है बल्कि संपूर्ण विश्व में सबसे विस्तृत संविधान भी है।

iii) **शक्तियों का विभाजन :-** संविधान में केन्द्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया है। संविधान की 7 वीं अनुसूची में केन्द्र व राज्य से संबंधित सूची निहित है।

Scanned by CamScanner

iv) संविधान की सर्वोच्चता :- संविधान सर्वोच्च है, केन्द्र या राज्य सरकार द्वारा प्रभावी कानूनों के विषय में इसकी व्यवस्था सुनिश्चित होनी चाहिए, अन्यथा न्यायिक समीक्षा द्वारा उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय ~~न्यायिक~~ इन्हें अवैध घोषित कर सकता है।

v) कठोर संविधान :- भारत के संविधान में कठोरता एवं लचीलापन दोनों गुण विद्यमान हैं। संविधान द्वारा शक्तियों का विभाजन एवं संविधान की सर्वोच्चता तभी बनायी रखी जा सकती है जब संविधान में संशोधन की प्रक्रिया कठोर हो। संविधान में कुछ ऐसे प्रावधान हैं जिनमें संशोधन के लिए संसद में विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है।

vi) स्वतंत्र न्यायपालिका :- संविधान में दो कारणों से उच्चतम न्यायालय के नेतृत्व में स्वतंत्र न्यायपालिका का गठन किया गया है -

a. न्यायिक समीक्षा के अधिकार का प्रयोग कर संविधान की सर्वोच्चता को स्थापित करना।

b. केन्द्र एवं राज्य के बीच विवाद का निपटारा करना।

vii) द्विसदनीयता :- संविधान ने द्विसदनीय विधायिका की स्थापना की है। उच्च सदन (राज्य सभा) एवं निम्न सदन (लोकसभा)।

⇒ संविधान की एकात्मक विशेषताएँ :-

i) सशक्त केन्द्र :- शक्तियों का विभाजन केन्द्र के पक्ष में है जो कि संघीय दृष्टिकोण के विरुद्ध है -

a. केन्द्रीय सूची में राज्य के मुकाबले अधिक विषय हैं।

b. केन्द्रीय सूची में ज्यादा विषय शामिल हैं।

c. समवर्ती सूची में भी केन्द्र को ऊपर रखा गया है।

ii) राज्य अनश्वर नहीं :- संघों के विपरीत भारत में राज्यों को क्षेत्रीय एकता का अधिकार नहीं है। संसद एकतरफा कार्यवाही द्वारा इनके क्षेत्र, सीमाओं या राज्य के नाम को परिवर्तित कर सकती है।

Scanned by CamScanner

iii) एकल संविधान :- संघ में राज्यों से हटकर अपना संविधान बनाने का अधिकार होता है, किन्तु भारतीय संविधान सिर्फ केन्द्र का ही नहीं राज्यों का भी है। केवल जम्मू-कश्मीर का अपना अलग संविधान है।

iv) एकल नागरिकता :- भारतीय संविधान कनाडा की तरह एकल नागरिकता को अपनाए हुए है। यहाँ केवल भारतीय नागरिकता है।

v) संविधान का लचीलापन :- भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया कम कठोर है संविधान के एक बड़े हिस्से को साधारण बहुमत या विशेष बहुमत के द्वारा संशोधित किया जा सकता है।

vi) राज्य प्रतिनिधित्व में समानता का अभाव :- राज्यों की जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व दिया गया है। छोटे राज्यों का प्रतिनिधित्व कम है।

vii) आपातकालीन उपबंध :- आपातकाल के दौरान केन्द्र के पास सभी शक्तियाँ आ जाती हैं और केन्द्र का राज्य पर पूर्ण नियंत्रण हो जाता है।

viii) एकीकृत न्यायपालिका :- भारतीय संविधान में सबसे ऊपर उच्चतम न्यायालय की स्थापना की है इसके अधीन उच्च न्यायालय होते हैं।

ix) अखिल भारतीय सेवाएँ :- अखिल भारतीय सेवाएँ केन्द्र एवं राज्य दोनों के लिए हैं परन्तु इनपर केन्द्र का पूर्ण नियंत्रण होता है जैसे - आईएएस, आईपीएस व IFS.

x) एकीकृत लेखा जाँच मशीनरी :- CAG, केन्द्र व राज्यों के खातों की जाँच करता है परन्तु उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा बिना राज्यों की सलाह के करता है।

xi) राज्य सूची पर संसद का प्राधिकार :- संसद, राज्य सूची में राष्ट्रीय महत्व को प्रभावित करने वाले विषय पर राज्यसभा द्वारा पारित विधान के बाद कानून बना सकती

xii) राज्यपाल की नियुक्ति :- राज्यपाल, राज्य का प्रमुख होता है परन्तु इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। यह केन्द्र के एजेण्ट की भूमिका निभाता है।

xiii) एकीकृत निर्वाचन मशीनरी :- ~~केन्द्री~~ चुनाव आयोग न केवल केन्द्रीय चुनाव सम्पन्न करता है बल्कि राज्य विधानमण्डलों के चुनाव भी कराता है।

xiv) राज्यों के विधेयकों पर वीटो :- राज्यपाल को, राज्य विधानमण्डल द्वारा पारित कुछ विधेयकों को राष्ट्रपति की संस्तुति के लिए सुरक्षित रखने का अधिकार है। यहाँ भी राज्यपाल केन्द्र के एजेन्ट की तरह कार्य करता है।

नोट :- भारतीय संविधान बहुत अधिक मात्रा में एकात्मक विशेषताएँ लिए हुए एक संघात्मक संविधान है।

आपातकालीन उपबंध (Emergency Provisions)

* संविधान के भाग 18 में अनुच्छेद 352 से 360 तक आपातकालीन उपबंध उल्लिखित हैं। संविधान में इन उपबंधों को जोड़ने का उद्देश्य देश की संप्रभुता, एकता, अखण्डता, लोकतांत्रिक राजनैतिक व्यवस्था तथा संविधान की सुरक्षा करना है।
* संविधान में तीन प्रकार के आपातकाल को निर्दिष्ट किया गया है -

आपातकाल

राष्ट्रीय आपातकाल (अनु॰ - 352)	राष्ट्रपति शासन अथवा संवैधानिक आपातकाल (अनु॰ - 356)	वित्तीय आपातकाल (अनु॰ - 360)
- युद्ध, बाह्य आक्रमण व सशस्त्र विद्रोह के कारण लगाया जाता है।	- राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता के कारण लगाया जाता है।	- भारत का वित्तीय स्थायित्व अथवा साख के खतरे में होने के कारण

1. राष्ट्रीय आपातकाल :-

⇒ घोषणा के आधार :-

* यदि भारत की अथवा इसके किसी भाग की सुरक्षा को युद्ध अथवा बाहरी आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह के कारण खतरा उत्पन्न हो गया हो तो अनु॰ - 352 के अंतर्गत राष्ट्रपति, राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकता है।
* राष्ट्रीय आपात की घोषणा वास्तविक युद्ध अथवा बाह्य आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह से पहले भी कर सकता है, यदि वह समझे कि इनका आसन्न खतरा है।
* राष्ट्रीय आपात की घोषणा सम्पूर्ण देश अथवा केवल इसके किसी एक भाग पर भी लागू हो सकती है। (42 वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा)
* राष्ट्रपति, राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा केवल मंत्रिमण्डल की लिखित सिफारिश प्राप्त होने पर ही कर सकता है अर्थात् केवल मंत्रिमण्डल की सहमति से हो सकती है मात्र प्रधानमंत्री की सलाह से नहीं (44 वां संवि॰ संशो॰)
* 1975 के 38 वें संविधान संशोधन अधिनियम ने राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा को न्यायिक समीक्षा की परिधि से बाहर रखा था परन्तु 44 वें संविधान संशोधन द्वारा इसे निरस्त कर दिया गया। अतः राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा न्यायिक समीक्षा योग्य है।

https://t.me/UPSC_Prelims https://t.me/UPSC_Mains

⇒ संसदीय अनुमोदन तथा समयावधि :-

* संसद के दोनों सदनों द्वारा आपातकाल की उद्घोषणा जारी होने के एक माह के भीतर अनुमोदित होना आवश्यक है।
* यदि आपातकाल की घोषणा ऐसे समय होती है जब लोकसभा का विघटन हो गया हो अथवा लोकसभा का विघटन एक माह के समय में बिना उद्घोषणा को अनुमोदित किए हो गया हो। तब उद्घोषणा लोकसभा के पुनर्गठन के बाद पहली बैठक से 30 दिनों तक जारी रहेगी।
* यदि संसद के दोनों सदनों से इसका अनुमोदन हो गया हो तो आपातकाल 6 माह तक जारी रहेगा। तथा प्रत्येक 6 माह में संसद के अनुमोदन से इसे अनन्तकाल तक बढ़ाया जा सकता है।
* आपातकाल के प्रस्ताव को संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत से पारित होना चाहिए जो कि -
  - i) उस सदन के कुल सदस्यों का बहुमत।
  - ii) उस सदन में उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत।

⇒ उद्घोषणा की समाप्ति :-

* राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की उद्घोषणा किसी भी समय दूसरी उद्घोषणा से समाप्त की जा सकती है।
* समाप्ति की उद्घोषणा को संसदीय अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होती।

⇒ राष्ट्रीय आपातकाल के प्रभाव:-

प्रभाव

- केन्द्र राज्य संबंधों पर
  - कार्यपालक
  - विधायी
  - वित्तीय
- लोकसभा तथा राज्य विधानसभा के कार्यकाल पर प्रभाव
- मौलिक अधिकारों पर प्रभाव

https://t.me/UPSC_Prelims https://t.me/UPSC_Mains
Scanned by CamScanner

https://t.me/UPSC_Prelims https://t.me/UPSC_Mains

i) केन्द्र - राज्य संबंधों पर प्रभाव :-

a. कार्यपालक प्रभाव :- राष्ट्रीय आपातकाल के समय केन्द्र की कार्यपालक शक्तियों का विस्तार हो जाता है।

* राष्ट्रीय आपातकाल के समय केन्द्र को किसी राज्य को किसी भी विषय पर कार्यकारी निर्देश देने की शक्ति प्राप्त हो जाती है।
* राज्य सरकारें, केन्द्र के पूर्ण नियंत्रण में हो जाती हैं।
* राज्य सरकारों को निलंबित नहीं किया जा सकता।

b. विधायी प्रभाव :-

* संसद को राज्य सूची में वर्णित विषयों पर कानून बनाने का अधिकार प्राप्त हो जाता है।
* किसी राज्यविधायिका की विधायी शक्तियों को निलंबित नहीं किया जा सकता।
* राज्य विधायिका निलंबित नहीं होती।
* संविधान संघीय की जगह एकात्मक रूप में आ जाता है।
* संसद द्वारा राज्य के विषयों पर बनाए गये कानून, आपातकाल के खत्म हो जाने के बाद 6 माह तक प्रभावी रहते हैं।
* संसद का सत्र न चल रहा हो तो राष्ट्रपति, राज्य सूची के विषयों पर भी अध्यादेश जारी किया जा सकता है।

c. वित्तीय प्रभाव :-

* राष्ट्रपति केन्द्र से राज्यों को दिए जाने वाले ~~कम~~ धन (वित्त) को कम अथवा समाप्त कर सकता है। अर्थात् संशोधित कर सकता है।

ii) लोकसभा तथा राज्य विधानसभा के कार्यकाल पर प्रभाव :-

* लोकसभा का कार्यकाल संसद द्वारा विधि बनाकर एक समय में एक वर्ष के लिए अनन्त काल तक बढ़ाया जा सकता है। यह विस्तार आपातकाल की समाप्ति के बाद 6 माह से ज्यादा नहीं हो सकता।

* राष्ट्रीय आपात के समय संसद किसी राज्य विधानसभा का कार्यकाल प्रत्येक बार एक वर्ष के लिए अनन्त काल तक बढ़ा सकती है। जो कि आपातकाल की समाप्ति के बाद अधिकतम 6 माह तक ही रहता है।

https://t.me/UPSC_Prelims https://t.me/UPSC_Mains Scanned by CamScanner

iii) मूल अधिकारों पर प्रभाव :-

a. अनु॰-19 के अंतर्गत प्रदत्त मूल अधिकारों का निलंबन :-

* अनु॰-358 के अनुसार जब राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है तब अनु॰-19 द्वारा प्रदत्त 6 मूल अधिकार स्वत: ही निलंबित हो जाते हैं। जब राष्ट्रीय आपातकाल समाप्त हो जाता है अनु॰-19 स्वत: पुनर्जीवित हो जाता है तथा प्रभाव में आ जाता है।

* आपातकाल में किए गए विधायी तथा कार्यकारी निर्णयों को आपातकाल के बाद भी चुनौती नहीं दी जा सकती।

* अनु॰-19 द्वारा प्रदत्त 6 मूल अधिकारों को युद्ध अथवा ~~बाह्य~~ बाह्य आक्रमण के आधार पर घोषित आपातकाल में ही निलंबित किया जा सकता है न कि सशस्त्र विद्रोह के आधार पर।

b. अन्य मूल अधिकारों का निलंबन :-

* अनु॰-359 राष्ट्रपति को आपातकाल के मूल अधिकारों को लागू करने के लिए न्यायालय में जाने के अधिकार को ~~निलं~~ निलंबित करने के लिए अधिकृत करता है। अत: अनु॰-359 के अंतर्गत मूल अधिकार नहीं अपितु उनका लागू होना निलंबित होता है।

* आपातकाल में मूल अधिकार जीवित रहते हैं केवल इनके तहत उपचार निलंबित होता है।

* यह निलंबन उन्ही मूल अधिकारों से संबंधित होता है जो राष्ट्रपति के आदेश में वर्णित होते हैं।

* निलंबन का आदेश पूरे देश अथवा किसी भाग पर लागू किया जा सकता है। इसे संसद की मंजूरी के लिए प्रत्येक सदन में प्रस्तुत करना होता है।

* आपातकाल में निलंबन का आदेश के प्रभाव में किए गए विधायी एवं कार्यकारी कार्यों को आदेश समाप्ति के उपरान्त चुनौती नहीं दी जा सकती।

* राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति अनु॰-20 (अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण का अधिकार व अनु॰-21 (प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार) को आपातकाल के दौरान भी निलंबित नहीं कर ~~सकता~~ सकता।

नोट :- अब तक कुल 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल [1962, 1971, 1975) में की जा चुकी है।
1962 - अरुणाचल प्रदेश में चीनी आक्रमण, 1971 में पाकिस्तान आक्रमण व 1975 - आंतरिक ~~अ~~ उपद्रव के आधार पर।

Scanned by CamScanner

⇒ अनु॰ - 358 एवं 359 में अन्तर :-

अनु॰ - 358	अनु॰ - 359
- केवल अनु॰ - 19 के अंतर्गत मूल अधिकारों से संबंधित है।	- उन सभी मूल अधिकारों से संबंधित है, जिनका राष्ट्रपति के आदेश द्वारा निलंबन हो जाता है।
- आपातकाल की घोषणा होने पर स्वतः अनु॰ - 19 के अंतर्गत के मूल अधिकारों का निलंबन कर देता है।	- यह स्वतः निलंबन नहीं करता। राष्ट्रपति को यह शक्ति देता है कि वह मूल अधिकारों के निलंबन को लागू करे।
- केवल युद्ध एवं बाहरी आक्रमण के आधार पर घोषित आपातकाल में लागू होता है सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में नहीं।	- यह युद्ध, बाहरी आक्रमण व सशस्त्र विद्रोह अर्थात बाहरी एवं आन्तरिक आपातकाल दोनों में लागू होता है।
- अनु॰ - 19 के अंतर्गत के मूल अधिकारों को आपातकाल की संपूर्ण अवधि के लिए निलंबित कर देता है।	- यह मूल अधिकारों के निलंबन को राष्ट्रपति द्वारा उल्लेख की गई अवधि के लिए लागू करता है। यह अवधि संपूर्ण आपातकालीन अवधि अथवा अल्पावधि हो सकती है।
- यह संपूर्ण देश में लागू होता है।	- यह संपूर्ण देश अथवा देश के किसी भाग विशेष में लागू हो सकता है।
- यह अनु॰ 19 को पूर्ण रूप से निलंबित कर देता है।	- यह अनु॰ 20 व 21 के निलंबन को लागू नहीं करता है।
- यह आपातकालीन समय में राज्य को अनु॰ 19 के अंतर्गत के मूल अधिकारों से साम्य नहीं रखने वाले नियम बनाने अथवा कार्यकारी कदम उठाने का अधिकार देता है।	- यह केवल उन्हीं मूल अधिकारों के संबंध में ऐसे कार्य करने का अधिकार देता है जिन्हें राष्ट्रपति के आदेश द्वारा निलंबित किया गया है।

join whastapp #9650697922

Scanned by CamScanner

https://t.me/UPSC_Prelims https://t.me/UPSC_Mains

2. राष्ट्रपति शासन अथवा संवैधानिक आपातकाल :-

⇒ घोषणा का आधार :-

* अनु. 356 के अंतर्गत राज्य में संविधान तंत्र के विफल हो जाने पर राज्य सरकार को केन्द्र द्वारा अपने नियंत्रण में लिया जा सकता है। यह सामान्य रूप से 'राष्ट्रपति शासन' के रूप में जाना जाता है।
* राष्ट्रपति शासन अनु. 356 के अंतर्गत दो आधारों पर घोषित किया जा सकता है -

~~राष्ट्रीय आपातकाल~~
राष्ट्रपति शासन का आधार

अनु. - 356
- यदि राष्ट्रपति आश्वस्त है कि वह स्थिति आ गयी है कि राज्य सरकार संविधान के उपबंधों के अनुरूप नहीं चल सकती।

अनु. - 365
- यदि कोई राज्य केन्द्र द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करने या उसे प्रभावी करने में असफल होता है।

ये दोनों अनुच्छेद राष्ट्रपति को राज्य का शासन अपने हाथ में लेने के लिए अधिकृत करते हैं।

⇒ संसदीय अनुमोदन व समयावधि :-

* राष्ट्रपति शासन के प्रभावित होने की घोषणा जारी होने के 2 माह के भीतर संसद के दोनों सदनों द्वारा इसका अनुमोदन आवश्यक है।
* यदि घोषणा के समय लोकसभा विघटित है अथवा घोषणा के अनुमोदित करने से पहले ही 2 माह के अन्दर लोकसभा विघटित हो जाती है तो नई लोकसभा के गठन के 30 दिन के अन्दर अनुमोदन आवश्यक है परन्तु राज्यसभा द्वारा अनुमोदन पहले ही करवाना आवश्यक है।
* दोनों सदनों द्वारा स्वीकृत हो जाने पर राष्ट्रपति शासन एक बार में 6 माह तक ही लगाया जा सकता है बाद में पुनः अनुमोदन द्वारा राष्ट्रपति शासन अधिकतम 3 वर्ष की अवधि तक ही लगाया जा सकता है।
* 44 वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1978 द्वारा यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति शासन को 1 वर्ष से अधिक की अवधि तक बढ़ाने के लिए दो शर्तों का पूरा होना आवश्यक है जो अग्रलिखित हैं -

https://t.me/UPSC_Prelims https://t.me/UPSC_Mains
Scanned by CamScanner

- एक वर्ष के पश्चात् राष्ट्रपति शासन को 6 माह के लिए बढ़ाने के लिए शर्तें –
  a. यदि पूरे भारत में अथवा पूरे राज्य अथवा उसके किसी भाग में राष्ट्रीय आपात की घोषणा की गयी हो।
  b. चुनाव आयोग यह प्रमाणित करे कि संबंधित राज्य में विधानसभा के चुनाव के लिए कठिनाइयाँ उपस्थित हैं।

* राष्ट्रपति शासन की घोषणा को मंजूरी देने वाला प्रत्येक प्रस्ताव दोनों सदनों द्वारा साधारण बहुमत (उपस्थित सदस्यों का बहुमत) द्वारा पारित किया जा सकता है।
* राष्ट्रपति शासन की घोषणा को, किसी भी समय राष्ट्रपति द्वारा परवर्ती घोषणा द्वारा वापस लिया जा सकता है। ऐसी परवर्ती घोषणा के लिए संसद की अनुमति आवश्यक नहीं होती।

⇒ राष्ट्रपति शासन का प्रभाव / परिणाम :–

* राष्ट्रपति शासन लागू होने पर राज्य की समस्त शक्तियाँ केन्द्र के हाथों में आ जाती हैं जिसमें कुछ शक्तियों का उपयोग राष्ट्रपति स्वयं एवं कुछ का उपयोग संसद द्वारा किया जाता है –

A. राष्ट्रपति को प्राप्त शक्तियाँ :–

- राज्य सरकार को अपने हाथ में ले लेता है उसे राज्यपाल तथा अन्य कार्यकारी अधिकारियों की शक्तियाँ प्राप्त हो जाती हैं।
- वह यह घोषणा कर सकता है कि संसद, राज्य विधायिका की शक्तियों का प्रयोग करेगी।
- वह, वो आवश्यक कदम उठा सकता है, जिसमें राज्य के किसी भी निकाय या प्राधिकरण से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों को निलंबन करना शामिल है।
- राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रीपरिषद को भंग कर देता है एवं राज्य का राज्यपाल, राष्ट्रपति के नाम पर राज्य सचिव की सहायता से अथवा राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किसी सलाहकार की सहायता से प्रशासन चलाता है।
- राष्ट्रपति राज्य विधानसभा को विघटित अथवा निलंबित कर सकता है।
- राष्ट्रपति को संबंधित उच्च न्यायालय की शक्तियाँ प्राप्त नहीं होती और वह इनसे संबंधित संवैधानिक प्रावधानों को निलंबित नहीं कर सकता।
- राष्ट्रपति शासन की अवधि में संबंधित उच्च न्यायालय की स्थिति, स्तर, शक्तियाँ और कार्य प्रणाली रहते हैं इनमें कोई व्यवधान नहीं होता।
- राष्ट्रपति शासन में मूल अधिकार अप्रभावित रहते हैं।

Scanned by CamScanner

B. राष्ट्रपति शासन में संसद को प्राप्त शक्तियाँ :- राष्ट्रपति शासन के दौरान राष्ट्रपति राज्य विधानसभा का विघटन अथवा निलंबन कर सकता है। ऐसी स्थिति में (विघटन होने पर) संसद को निम्न शक्तियाँ प्राप्त होती हैं -

- संसद राज्य के लिए विधि बनाने की शक्ति राष्ट्रपति अथवा उनके द्वारा किसी उल्लिखित अधिकारी को दे सकती है।
- संसद या किसी प्रतिनिधि मण्डल के मामले में, राष्ट्रपति या अन्य कोई प्राधिकारी, केन्द्र अथवा इसके अधिकारियों व प्राधिकरण पर शक्तियों पर विचार करने और कर्त्तव्यों के निर्वहन के लिए विधि बना सकते हैं।
- जब लोकसभा का सत्र नहीं चल रहा हो तो राष्ट्रपति, संसद की अनुमति के लिए लंबित पड़े राज्य की संचित निधि के प्रयोग को प्राधिकृत कर सकता है।
- जब संसद का सत्रावसान हो तो राष्ट्रपति, राज्य के लिए अध्यादेश जारी कर सकता है।

नोट:- ऐसा कोई कानून जो राष्ट्रपति शासन की अवधि में प्रभावी है वह राष्ट्रपति शासन की समाप्ति की घोषणा के बाद स्वतः अप्रभावी नहीं होगा अर्थात् बाद में भी प्रभावी रहेगा। परन्तु इसे राज्य विधायिका द्वारा वापस अथवा परिवर्तित अथवा पुनः लागू किया जा सकता है।

* सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन का प्रयोग 1951 में पंजाब में किया गया था।

⇒ राष्ट्रपति शासन एवं न्यायिक समीक्षा :-

* 1975 के 38वें संवि० संशो० अधि० में में यह उपबंध किया गया था कि अनु०-356 के प्रयोग में राष्ट्रपति की संतुष्टि को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती लेकिन 1978 के 44वें संवि० संशो० अधि० में इस उपबंध को समाप्त कर दिया। वर्तमान में राष्ट्रपति की संतुष्टि न्यायिक समीक्षा योग्य है।

* बोम्मई मामला (1994) में राष्ट्रपति शासन के संबंध में निम्नलिखित निर्णय दिए-
  a. राष्ट्रपति शासन लागू करने की राष्ट्रपति की घोषणा न्यायिक समीक्षा योग्य है।
  b. राष्ट्रपति की संतुष्टि तर्कसंगत होनी चाहिए। राष्ट्रपति के कार्यों पर न्यायपालिका द्वारा रोक लगायी जा सकती है यदि यह अतार्किक अथवा अन्यथा आधार पर आधारित है।
  c. केन्द्र पर यह जिम्मेदारी होगी कि वह राष्ट्रपति शासन को न्यायोचित सिद्ध करने के लिए तर्कसम्मत कारणों को प्रस्तुत करे।

d. यदि न्यायालय राष्ट्रपति की घोषणा को असंवैधानिक और अवैध पाता है तो न्यायालय को विघटित राज्य सरकार को पुनः स्थापित करने और निलंबित अथवा विघटित विधानसभा को पुनः बहाल करने का अधिकार है।

e. राज्य विधानसभा को केवल तब ही विघटित किया जा सकता है जब राष्ट्रपति की घोषणा को संसद की अनुमति मिल जाती है। संसद की बिना अनुमति के विधानसभा को केवल निलंबित किया जा सकता है।

f. यदि कोई राज्य सरकार सांप्रदायिक राजनीति करती है तो अनु०-356 के अंतर्गत उस पर कार्यवाही की जा सकती है।

g. राज्य सरकार का विधानसभा में विश्वास मत खोने का प्रश्न संसद में निश्चित किया जाना चाहिए जब तक यह न हो तब तक मंत्रीपरिषद बनी रहेगी।

h. अनु०-356 का प्रयोग विशेष परिस्थिति में यदा-कदा ही किया जाना चाहिए।

⇒ राष्ट्रपति शासन लागू करने की उपयुक्त व अनुपयुक्त परिस्थितियाँ :-

लगाया जाना चाहिए ⇒ उचित	नहीं लगाया जाना चाहिए ⇒ अनुचित
- जब आम चुनावों के बाद विधानसभा में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त न हो।	- जब मंत्रिपरिषद त्यागपत्र दे दे अथवा सदन में बहुमत के अभाव के कारण बरखास्त कर दी जाए और राज्यपाल वैकल्पिक सरकार की संभावना की जाँच किए बिना राष्ट्रपति शासन आरोपित करने की सिफारिश करे।
- जब बहुमत प्राप्त दल सरकार बनाने से इंकार कर दे और राज्यपाल के समक्ष विधानसभा में स्पष्ट बहुमत वाला कोई गठबंधन न हो।	- जब राज्यपाल मंत्रिपरिषद के समर्थन में स्वयं निर्णय ले और मंत्रिपरिषद को सदन में ~~बहुमति~~ बहुमत सिद्ध करने की अनुमति दिए बिना राष्ट्रपति शासन लागू करने की सिफारिश कर दे।
- जब मंत्रिपरिषद त्यागपत्र दे दे और अन्य कोई दल सरकार बनाने की इच्छुक न हो अथवा स्पष्ट बहुमत प्राप्त न हो।	- जब विधान सभा में बहुमत प्राप्त दल लोकसभा के आम-चुनावों में भारी हार का सामना करे।
- यदि राज्य सरकार केन्द्र के किसी ~~विशेष~~ संवैधानिक निर्देश को मानने से इंकार कर दे।	- आंतरिक गड़बड़ी जिससे कोई आंतरिक उच्छेदन अथवा भौतिक विघटन/गड़बड़ी न हो।
- सरकार जब सोच विचार कर संविधान व कानून के विरुद्ध कार्य करे।	
- जहाँ राज्य सरकार इच्छापूर्वक अपने संवैधानिक दायित्व निभाने से इंकार कर दे।	

Scanned by CamScanner

लगाना चाहिए	नहीं लगाना चाहिए
	- राज्य में कुशासन अथवा मंत्रिपरिषद के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोप अथवा राज्य में वित्तीय संकट - जहाँ राज्य सरकार को अपनी गलती सुधारने की पूर्व चेतावनी न दी गई हो। केवल उन मामलों को छोड़कर जहाँ स्थितियाँ, विपत्तिकारक घटनाओं में परिवर्तित होने वाली हो। - जहाँ सत्ताधारी दल के अन्दर की परेशानियों के सुलझाने के लिए अथवा किसी बाह्य अथवा असंगत उद्देश्य के लिए शक्ति का प्रयोग संविधान के विरुद्ध किया जाए।

Raj Holkar

⇒ राष्ट्रीय आपातकाल (अनु-352) व राष्ट्रपति शासन (अनु-356) में अंतर :-

राष्ट्रीय आपातकाल	राष्ट्रपति शासन
- यह तब लगता है जब भारत अथवा इसके किसी भाग की सुरक्षा पर युद्ध, बाह्य आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह का खतरा हो।	- यह तब लगता है जब राज्य की सरकार संविधान के प्रावधान के अनुसार कार्य न कर रही हो और इसका कारण युद्ध, बाहरी आक्रमण व सशस्त्र विद्रोह न हो।
- घोषणा के बाद राज्य कार्यकारिणी व विधायिका संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत कार्य करती रहती हैं। राज्य की विधायी व प्रशासनिक शक्तियाँ केन्द्र के पास आ जाती हैं।	- राज्य कार्यपालिका बर्खास्त हो जाती है तथा राज्य विधायिका या तो निलंबित हो जाती है अथवा विघटित हो जाती है। राष्ट्रपति, राज्यपाल के माध्यम से प्रशासन चलाता है व संसद राज्य के लिए कानून बनाती है।
- संसद राज्य विषयों पर स्वयं नियम बनाती है।	- संसद राज्य के लिए नियम बनाने का अधिकार राष्ट्रपति अथवा उसके द्वारा नियुक्त अन्य किसी प्राधिकारी को सौंप सकती है।
- इसके लिए अधिकतम अवधि निश्चित नहीं इसे प्रत्येक 6 माह बाद संसद से अनुमति लेकर अनिश्चित काल तक लागू किया जा सकता है।	- अधिकतम अवधि 3 वर्ष निश्चित की गयी है। 1 साल से अधिक समय तक लागू करने के लिए चुनाव आयोग की रिपोर्ट की आवश्यकता होती है।
- सभी राज्यों व केन्द्र के बीच संबंध परिवर्तित	- केवल संबंधित राज्य व केन्द्र के बीच संबंध परिवर्तित।
- इसे लागू करने व जारी रखने वाले प्रस्ताव दोनों सदनों से विशेष बहुमत द्वारा पारित कराना आवश्यक	- घोषणा व जारी रखे जाने वाले प्रस्ताव संसद से साधारण बहुमत द्वारा पारित होते हैं।
- यह मूल अधिकारों को प्रभावित करता है।	- मूल अधिकारों पर कोई प्रभाव नहीं।
- लोकसभा इसको वापस लेने के लिए प्रस्ताव पारित कर सकती है।	- इसे राष्ट्रपति स्वयं वापस ले सकता है। लोकसभा से संबंधित कोई उपबंध नहीं है।

Scanned by CamScanner

https://t.me/UPSC_Prelims https://t.me/UPSC_Mains

3. वित्तीय आपातकाल :-

⇒ घोषणा का आधार :- अनु॰ 360 राष्ट्रपति को वित्तीय आपातकाल की घोषणा की शक्ति प्रदान करता है। यदि वह संतुष्ट हो कि, ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गयी है जिसमें भारत अथवा उसके किसी क्षेत्र की वित्तीय स्थिति अथवा प्रत्यय खतरे में हो।

* [redacted] 44वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1978 में कहा गया है कि वित्तीय आपात लगाने के लिए राष्ट्रपति की संतुष्टि न्यायिक समीक्षा योग्य है।

⇒ संसदीय अनुमोदन एवं समयावधि :-

* वित्तीय आपात घोषणा की तिथि से 2 माह के भीतर संसद की स्वीकृति मिलना अनिवार्य। यदि घोषणा के दौरान अथवा 2 माह के भीतर मंजूरी देने से पूर्व लोकसभा विघटित हो जाए तो नई लोकसभा गठन से प्रथम बैठक के बाद 30 दिनों के अंदर अनुमोदित करवाना आवश्यक है परन्तु इस अवधि में इसे राज्यसभा की मंजूरी मिलना आवश्यक है।

* मंजूरी मिलने के बाद बिना संसद की पुनः अनुमति के इसको अनिश्चित काल तक लागू रखा जा सकता है।

* घोषणा को मंजूरी देने वाला प्रस्ताव संसद के दोनों सदनों में साधारण बहुमत (उपस्थित सदस्यों की उपस्थिति एवं मतदान का बहुमत) द्वारा पारित किया जाता है।

* राष्ट्रपति किसी भी समय एक अनुवर्ती घोषणा द्वारा वित्तीय आपात को समाप्त कर सकता है। इसके लिए संसद की अनुमति की आवश्यकता नहीं होती।

नोट:- भारत में अब तक एक भी बार वित्तीय आपातकाल की घोषणा नहीं हुई है।

⇒ वित्तीय आपातकाल के प्रभाव :-

* राष्ट्रपति, राज्य सेवा में किसी भी अथवा सभी वर्गों के सेवकों के वेतन एवं भत्तों में कमी करता है अथवा कर सकता है।

* राज्य विधायिका द्वारा पारित कर राष्ट्रपति के विचार हेतु लाए गए सभी धन विधेयकों अथवा अन्य वित्तीय विधेयकों को आरक्षित रख सकता है।

* राष्ट्रपति, केन्द्र की सेवा में लगे सभी अथवा किसी भी श्रेणी के सेवकों के वेतन एवं भत्तों में कमी का निर्देश जारी कर सकता है।

* राष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के सभी न्यायाधीशों के वेतन एवं भत्तों में कटौती का निर्देश जारी कर सकता है।

नोट:- वित्तीय आपातकाल की अवधि में राज्य के सभी वित्तीय मामलों में केन्द्र का नियंत्रण हो जाता है।

https://t.me/UPSC_Prelims https://t.me/UPSC_Mains
Scanned by CamScanner